UPAG010094872023

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(महिलाओं के विरूद्ध अपराध),आगरा
पीठासीन अधिकारी–(श्री नीरज श्रीवास्तव), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP3825

सत्र परीक्षण संख्या –1572/2023

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन**

बनाम

1. पूरन पुत्र गंगाराम निवासी–ग्राम खनियन थाना–बलरई, जिला इटावा।
2. श्रीमती विठला देवी पत्नी रामचरन, निवासी–ग्राम पुरा जाख थाना जैतपुर, जिला आगरा।
3. श्रीमती प्रीति पत्नी राजवीर, निवासी–ग्राम पुरा जाख थाना जैतपुर, जिला आगरा।

..............**अभियुक्तगण**

अपराध सं0–13/2023
धारा–376, 328, 120बी, 323/34 भा0दं0सं0
थाना–जैतपुर, जिला आगरा।

निर्णय

1. इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीति, श्रीमती विठला, का विचारण सत्र परीक्षण सख्या–1572/2023 धारा 376, 323, 328, 120 बी के आरोप के लिए किया गया है। प्रस्तुत सत्र परीक्षण थाना जैतपुर आगरा द्वारा मु0 अ 0 सं0 13/2023 में अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीति, श्रीमती विठला, के विरूद्ध प्रेषित आरोप पत्र पर आधारित है।

2. प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता के सम्मान व सामाजिक प्रतिष्ठा को दृष्टिगत रखते हुये इस निर्णय में पीड़िता का नाम सार्वजनिक न होने के उद्देश्य से प्रकरण

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

की पीड़िता को उसके वास्तविक नाम से सम्बोधित न करते हुये ''पीड़िता'' शब्द से संबोधित किया जायेगा।

<u>मामले के तथ्य-</u>

3. अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्तगण के विरूद्ध वादी मुकदमा के द्वारा दी गयी तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की गयी और वाद विवेचना प्रकरण में थाना जैतपुरा आगरा पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया। वादी मुकदमा द्वारा दी गयी तहरीर निम्नवत है-

''प्रार्थी अनुज पुत्र श्री रोकश बाबू निवासी मुन्नी की मडैया थाना लवेदी जनपद इटावा का रहने वाला हूँ। मेरी बहन रेशमा उम्र करीब 23 साल की शादी 7 मई 2020 को सोनू पुत्र रामचरन निवासी पुरा जाखं थाना जैतपुर आगरा के साथ हिन्दु रीति रिवाज से सम्पन्न हुयी थी। दिनांक-25.02.2023 को करीब 2 बजे दिन में मेरी बहन रेशमा अपनी ससुराल में अकेली थी तभी मेरे जीजा सोनू के मामा पूरन पुत्र गंगाराम निवासी खनियन थाना बलरई ईटावा घर पर आया और मेरी बहन रेशमा के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया जिसकी सूचना मेरी बहन ने फोन पर मेरी मां को दी जिसके बाद मैं मेरी मां के साथ अपनी बहन रेशमा के ससुराल आया। श्रीमान जी, आज मैं अपनी बहन को साथ लेकर थाने आया हूँ, रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।''

4. वादी मुकदमा की लिखित तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 13/2023 अं0 धारा 376, 323, 328, 120 बी आई.पी.सी., थाना जैतपुर में अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीति, श्रीमती विठला, के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा वादी मुकदमा के बयान, गवाहों संकलित साक्ष्य तथा कृत विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध अं0 धारा 376, 323, 328, 120 बी आई.पी.सी., का अपराध भली-भांति प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र दिनांक- 26.04.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियोजन साक्ष्य

क्र.सं.	साक्षी कं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार	साक्ष्य की तिथि
1	P.W.1	अनुज	वादी	28–06–2024
2	P.W.2	रेशमा	पीड़िता	02–07–2024
3	P.W.3	रानी देवी	समर्थन साक्षी	10–09–2024
4	P.W.4	कां0 अनीता	औपचारिक गवाह	27–09–2024
5	P.W.5	उप0 नि0 जितेन्द्र कुमार	विवेचक	23–11–2024
6	P.W.6	एस.आई. ईश्वर तोमर	पूर्व विवेचक	13–02–2025
7	P.W.7	अवनीत मान	पूर्व विवेचक	13–02–2025
8	P.W.8	डॉ0 वन्दना तुलसी	चिकित्सक गवाह	15–11–2025

दस्तावेजी साक्ष्य

1	तहरीर	प्रदर्श क 1	PW1
2	एफ.आई.आर	प्रदर्श क 4	PW4
3	जीडी	प्रदर्श क 3	PW4
4	आरोप पत्र	प्रदर्श क 6	PW6

पीड़िता के 164 सी.आर.पी.सी. के बयान-

5. प्रस्तुत मामले में विवेचक अवनीत मान मय महिला आरक्षी द्वारा पीडिता के 164 सी0 आर0 पी0 सी के बयान अंकित करवाने हेतु लाया गया। विवेचक द्वारा पीड़िता के फोटो व हस्ताक्षर प्रमाणित किये गये। पीडिता ने कथन

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

किया कि ''मेरी उम्र 18 वर्ष है। 25.02.2023 को मैं घर पर अकेली थी। सुबह करीब 11-12 बजे। तब मेरे पति के मामा पूरन आये। तब मेरी जेठानी भी आयी। उसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई। मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गयी। वहां मुझे नशा हुआ। जब होश में आयी तो पूरन मेरे ऊपर था। मेरे कपडे उतरे हुए थे। उन्होने मेरे साथ शारीरिक संबंध मेरी बेहोशी में बनाये। मुझसे यह बात किसी से भी कहने से मना किया। मैने अपनी सास से शिकायत की तो मेरी जेठानी और सास ने बहुत मारा। रस्सी से मारा। मैने अपने घर बतायी ये बात ,उसके बाद मैने शिकायत की।''

6. वर्तमान मामले में अभियुक्तगण के विरुद्ध अंतर्गत धारा 376, 323, 328, 120 बी आई.पी.सी., के आरोप तय किए गए हैं। अभियोजन पक्ष द्वारा अपना मामला साबित करने के लिए कुल 8 गवाहों को परीक्षित कराया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे आरोप के संबंध में उनके दायित्व निर्धारण के पूर्व इस स्तर पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के बयानों का संक्षिप्त उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा।

7. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 1 अनुज राजपूत** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि मेरी बहन (पीड़िता) की शादी 07.05.2020 को सोनू पुत्र रामचरन पुत्र जॉख के साथ हिन्दु रितीरिवाज के साथ सम्पन्न हुयी थी। मेरे पिता के मामा पूरन मेरी बहन पर बुरी नीयत रखते थे। दिनांक-25.02.2023 को दिन में मेरी बहन रेशमा ससुराल में अकेली थी तो सोनू के मामा पूरन पुत्र गंगाराम निवासी खनियन, थाना बलरई इटावा मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करते हुए उसके साथ डरा धमकाकर बलात्कार किया। जिसकी सूचना मेरी बहन ने मेरी मां रानी को फोन पर बतायी थी। मां ने भी मुझे मेरी बहन के साथ हुयी पूरी घटना बतायी थी। उसके बाद मैं अपनी मां के साथ अपनी बहन के ससुराल आया था, तो मेरी बहन ने भी अपने साथ हुयी घटना के बारे में रो-रो कर बताया। उसके बाद हम अपनी बहन के साथ हुई घटना के बारे में थाना जैतपुर रिपोर्ट लिखवाने गये। जो थाने में

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

मैने तहरीर लिखकर दी थी। वह पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। मै अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। जिस पर प्रदर्श क-1 डाला गया। इस घटना के संबंध में मेरी बहन का डाक्टरी परीक्षण व मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष बयान हुए थे। पुलिस वालों ने मुझसे पूछताछ की थी।

8. साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''मैं एल.एल.बी कर रहा हूं। मेरी बहन रेशमा की शादी वर्ष 2020 में हुयी थी। शादी सोनू के साथ हुयी थी। शादी में करीब 4-5 लाख रूपये खर्च हुए थे। शादी में करीब 40-50 लोग आये थे। पूरन भी बारात में आया था। मेरे बहनोई सोनू हलवाई का काम करते है। मेरी बहन की शादी के 4-5 दिन बाद ही ससुराल में विवाद चालू हो गया था। मेरी बहन के ससुराल वाले पैसे व सामान आदि की मांग करते थे। गांव में इसके बावत पंचायत हुयी थी। बाद में पंचायत नहीं मानी तब मैने अपनी बहन के बारे मे ससुराल वालों से शिकायत की थी। इटावा न्यायालय में अभी भी बहन का मुकदमा चल रहा है। फोन से मेरी बहन ने मुझे सूचना नहीं दी। मेरी मां को ही दी। किस फोन नं0 से फोन किया था मुझे याद नहीं है। कितने बजे सूचना दी थी मुझे ध्यान है। शाम को 8-9 बजे सूचना दी थी। तहरीर प्रदर्श क-1 मैने अपने हाथ से लिखी है। तहरीर का कागज मैने थाने से लिया था। तहरीर मैने थाने पर बैठकर लिखी थी। तहरीर पर तारीख पर कटिंग मेरे द्वारा की गयी है। मैं अपनी बहन के ससुराल सुबह 5-6 बजे पहुँच गया था। मैं और मेरी मम्मी साथ में गयी थी। मैने घटना के बारे में आस-पडौस में पूछताछ की थी। लेकिन नाम मुझे याद नहीं है। दरोगा जी ने मुझसे शुरू में ही पूछताछ की थी। उसके बाद मेरा काई बयान नहीं लिया। मेरा दरोगा जी ने बयान थाने पर लिया था। मैं दरोगा जी के साथ कहीं नहीं गया। नक्शा नजरी पर मेरे कोई हस्ताक्षर नहीं है। यह कहना गलत है कि पूरन ने मेरी बहन के साथ कोई न बलात्कार किया, न कोई नशीला पदार्थ खिलाया और न ही कोई मारपीट की। श्रीमती प्रीति ने कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खिलाया और न ही मारपीट की है। यह कहना भी गलत है कि श्रीमती विठला देवी ने कोई मारपीट नहीं की। यह

कहना गलत है कि मैने अपनी बहन के ससुरालीजन के विरूद्ध दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा लिखा दिया हो।''

9. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 2 पीड़िता** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि घटना के वक्त मेरी उम्र 23 वर्ष की थी। मैं कक्षा 8 तक पढी हूं। मेरी शादी सोनू पुत्र राम चरण के साथ हुयी है। दिनांक-25.02.2023 की बात है। मैं घर पर थी। घर पर मेरी जेठानी प्रीति भी थी। तभी दिन के 11-12 बजे मेरे पति के मामा पूरन घर पर आये और अपने साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आये थे। मेरी जेठानी ने कोल्ड ड्रिंक गिलास में मुझको दी लेकिन खुद नहीं ली। जिससे मेरी स्थिति बेहोसी की हो गयी। मेरी जेठानी प्रीति, ममिया ससुर पूरन और मुझको छोडकर पडोस मे चली गयी। बेहोशी का फायदा उठाकर पूरन मुझे ऊपर कमरे में ले गये। जहां मेरे कपडे उतारकर बेहोशी की हालत में जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे यह बात किसी को बताने से भी मना किया। जब मेरी सास विठला देवी व जेठानी प्रीति घर आये तो मैने इसकी शिकायत सास व जेठानी से की इस बात पर इन दोनों ने मुझको मारा पीटा व मुझसे बदसलूकी की। इस बात की सूचना मैने अपने मायके मे दी तो मेरे भाई द्वारा 27.02.2023 को एक दिन छोडकर मेरे भाई अनुज द्वारा थाने पर सूचना दी गयी। यहां मुझे डाक्टरी रिपोर्ट कराने हेतु आगरा आयी थी। मैं डाक्टरी मुआयना कराने महिला चिकित्सालय आयी थी। जहां मेरी अंदरूनी जांच हुयी। मेरा मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी का भी बयान हुआ था। न्यायालय की अनुज्ञा से 164 सी0 आर 0 पी0 सी का लिफाफा खोला गया। 164 सी0 आर 0 पी0 सी के बयानों पर अपने फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं और कहा कि यह वही बयान है जिस पर प्रदर्श क-2 डाला गया है। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ की थी। इस दिन पूरन द्वारा मेरे साथ दो बार बलात्कार किया गया। एक बार लगभग 12 बजे एक बार लगभग 2 बजे।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''मै कक्षा 8 तक पढी हूं। स्कूल का नाम मुझे याद नहीं है। मुझे अपनी जम्न तिथि भी याद नहीं है। मेरी शादी जून 2021 में हुयी थी। मेरे पिता ने शादी में 50 लाख रूपये खर्च किये थे। मेरे पिता जी ने बर्तन बगैरह शादी में दिये थे। शादी में बारात में ससुराल के कितने लोग आये मुझे याद नहीं है। शादी के बाद ससुराल गयी तो ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे। दहेज के लिए परेशान करते थे। मैने अपने ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में किया है। इटावा में मुकदमा चल रहा है। इटावा वाले मुकदमें में एक बार राजीनामा हुआ था। राजीनामा होने के बाद ससुराल गयी थी। करीब 15 दिन ससुराल में रही थी। राजीनामा की लिखा पढी कोर्ट में हुयी थी। मेरी जेठानी जौनपुर की है। मेरा जेठानी व सास से झगडा होता था। झगडा किस तारीख को हुआ था मुझे याद नहीं है। पूरन शादी में बारात में आया था। शादी के बाद पूरन मेरी ससुराल में दो तीन बार आया। मेरी ससुराल में खेती वगैरह है। मेरी ससुराल में दो कमरे है। एक ऊपर व एक नीचे है। मैं अपनी ससुराल में खाना बनाती थी। जेठानी नहीं बनाती थी। मैंने दरोगा जी को कोल्ड ड्रिंक वाली बोतल नहीं दिखायी। कोल्ड ड्रिंक मैने पहले कई बार पी थी। ससुराल में पडोस में किस का मकान है मुझे याद नहीं है। पडोस में कितने लोग रहते है पता नहीं। मैने अपनी मम्मी को अपने पति के फोन से फोन किया था। पति घर पर नहीं थे। फोन साथ ले गये थे। फोन करने पर मेरी मम्मी अगले दिन सुबह आयी। मेरा दरोगा जी ने बयान लिया था , कब लिया था याद नहीं है। बयान में क्या लिखा था मुझे याद नहीं है। मेरा कोर्ट मे बयान हुआ था, तारीख याद नहीं है। दरोगा जी ने जो कहा था वही बयान मैने कोर्ट में दिया था। मेडिकल मेरा किस तारीख को हुआ था मुझे तारीख याद नही है। आज मैं अपनी मां के कहने पर बयान देने आयी हूं।

पीडिता ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पूरन ने मेरे साथ कोई बलात्कार न किया हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त पूरन ने मुझे कोई नशीला पदार्थ न खिलाया हो। यह कहना भी गलत है कि पूरन द्वारा मेरे

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

साथ कोई मार पीट न की गयी हो। यह भी कहना गलत है कि पूरन द्वारा मेरे साथ कोई षडयंत्र न किया हो। श्रीमती प्रीति ने मुझे कोई नशीला पदार्थ न खिलाया हो यह कहना भी गलत है व कोई मारपीट न की गयी हो। प्रीति द्वारा मेरे साथ कोई षडयंत्र न किय गया हो यह भी कहना गलत है। यह कहना भी गलत है कि श्रीमती विठला देवी द्वारा मेरे साथ कोई मारपीट न की हो। यह कहना भी गलत है मैने अपने ससुरालीजनों के खिलाफ दबाब बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखवाया हो।''

10. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 3 रानी देवी** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक-25.02.2023 की बात है लगभग शाम के 4-5 बज रहे थे। मेरे पास मेरी बेटी पीड़िता का फोन आया। फोन पर वह काफी रो रही थी। उसके द्वारा बताया गया कि मम्मी मेरे साथ सोनू के मामा पूरन ने गलत काम किया है। घर पर जब मैं अकेली थी तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मुझको दे दिया। जिससे मैं बेहोशी की स्थिति में हो गयी। तब मेरे साथ पूरन द्वारा बलात्कार किया गया। मैंने पूछा तो जेठानी व सास कहां थी। तो बेटी ने बताया कि दोनों पडोस में चली गयी। जेठानी ने ही मुझे कोल्ड ड्रिंक दी थी। इसके बाद मैंने अपने बेटे अनुज व पति को बताया तो मेरे पति द्वारा उसी दिन मेरे दामाद सोनू को फोन किया गया। पति ने दामाद सोनू से कहा कि रिपोर्ट लिखाने मेरी बेटी को थाने लेकर जाओ तो फोन काटने के थोडी देर बाद सोनू ने मुझे फिर फोन किया और कहा कि मैं जयपुर हूं। मैं घर जाकर बात करूंगा। मैंने ही सोनू से कहा कि रिपोर्ट कराओ और मेडीकल के लिए लेकर जाओ। सोनू ने फोन बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही मैं और मेरा बेटा, बेटी की ससुराल पहुंच गये। बेटी की स्थिति चिंताजनक थी तथा बहुत रो रही थी। तब मै और मेरा बेटा, बेटी को अपने साथ थाने जैतपुर ले गया। जहां मेरे बेटे ने तहरीर लिखी थी। जो मेरी बेटी ने मेडिकल कराने एक दिन बाद ले गयी थी। मैं अपनी बेटी के साथ मेडिकल के लिए गयी थी। दरोगा जी ने मुझे घटना के बावत पूछताछ की थी।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''मुझे अपनी बेटी की शादी की तारीख याद नहीं है। शादी से पहले मैं लडकी के परिवार को देखने नहीं गयी थी। शादी के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल दो बार गयी हूं। शादी में एक लाख का सामान, एक मोटर साईकिल व 50 हजार रूपये नगद दिया था। इतने सामान से लडकी के ससुराल वाले खुश नहीं थे। शादी के तीसरे दिन ही लडकी को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि अतिरिक्त दहेज में भैंस व बकरी लेकर आओ तब तुम्हारी बेटी को रखेंगे। मेरी बेटी ने इटावा में दहेज का मुकदमा डाला था। मेरी बेटी इस मुकदमे की घटना के बाद भी समझौते के बाद भी अपने घर गयी थी। 25.02.2023 को किस नम्बर से फोन आया था मुझे याद नहीं है। इस मुकदमें से पहले भी मैं अपनी लडकी के ससुराल कई बार गयी। मेरी पुत्री की कोई संतान नहीं थी। 26 तारीख को मैं अपनी मोटरसाईकिल से बेटी की ससुराल गयी थी। मैं पडोसी का नाम नहीं जानती। मेरी बेटी की जेठानी व सास घर पर थी। मैं बेटी को लेकर थाने चली गयी। थाने कितने बजे पहंुची मुझे समय नहीं मालूम। मेडीकल कराने के लिए दोपह 20:30 बजे पहुंचे थे। दरोगा जी ने मुझसे जिस दिन थाने गये थे उसी दिन पूछताछ की। दरोगा जी ने मुझसे एक बार ही पूछताछ करी। यह कहना गलत है कि मेरी बेटी ने पूरन, सास व जेठानी के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी ने अपने ससुरालीजनों के विरूद्ध अतिरिक्त दहेज मांगे जाने के कारण दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया हो।''

11. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 4 कांस्टेबल अनीता** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक-27.02.2023 को मेरी ड्यूटी थाना जैतपुर पर बतौर सी0 सी0 के पद पर थी। उस दिन मुकदमा वादी अनुज कुमार पुत्र राकेश बाबू निवासी मुन्नी की मड़िया थाना अबेदी, जनपद इटावा मय हमराही पीड़िता पत्नी सोनू निवासी ग्राम पुराजाट थाना जैतपुर वच पीड़िता की मां श्रीमती रानी देवी के साथ आकर एक किता हिन्दी लिखित तहरीर जिस पर खुद के हस्ताक्षर बताते हुए

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

बावत अभियुक्त पूरन के विरूद्ध तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर मु0 अ0 सं0 13/2023 धारा 376 आई0 पी0 सी0 घटना दिनांक-25.02.2023 पंजीकृत किया था। जिसकी आयमी जी0 डी0 नं0 39 दिनांक-27.02.2023 समय 17:30 बजे पर की थी। जिसकी कम्प्यूटर मूल प्रति मैं अपने साथ लेकर आयी हूं। जिस पर थाने की मोहर व मेरे हस्ताक्षर अंकित है। जिसकी मैं शिनाख्त करती हूं। जिस पर प्रदर्श क-3 डाला गया है। पत्रावली पर मौजूद नकल चिक एफ0 आई0 आर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द अंकित की गयी थी। जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाने की मोहर अंकित है जिनकी मैं शिनाख्त करती हूं, जिस पर प्रदर्श क-4 डाला गया।

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''अपराध संख्या 13/23 के बाद में व पहले किसका मुकदमा लिखा था मुझे नहीं पता। वादी मुकदमा अनुज तहरीर लिखकर लाया था मेरे सामने नहीं लिखी। मुकदमा कायम करने से करीब 15-20 मिनट पहले वादी मुकदमा आया था। थानाध्यक्ष ने मेडीकल आदेश दिया था उसके बाद मुकदमा पंजीकृत किया। वादी तहरीर हाथ से लिखकर लाया था। चिक करने में आधा घण्टा या 40 मिनट का समय लगा। 40 मिनट तक थाने की जी0 डी0 रही। इसी बीच कोई मुकदमा कायम नहीं हुआ। चिक करने के बाद मैंने वादी को एक कापी दी थी। यह कहना गलत है कि थानाध्यक्ष के कहे अनुसार जी0 डी0 रूकी रहती है। उन्ही के अनुसार जी0 डी0 व मुकदमा कायम किया जाता है।''

12. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक-27.02.2023 को मेरी ड्यूटी बतौर एस0 एस0 आई0 के पद पर थाना जैतपुरा पर थी। उस दिन मु0 अ0 सं0 13/2023, धारा 376 आई.पी.सी. राज्य बनाम पूरन एस.एस.आई. को सुपुर्द हुयी। थाना कार्यालय से नकल चिक, नकल रपट अन्य प्रपत्र प्राप्त हुए। जिनका अवलोकन कर नकल की गयी। सी0 डी0 का पर्चा नं0 1 दिनांक-27.02.2023 को

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ0 कोड – UP03825

किता किया गया जिसमें नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी, बयान पीडिता, बयान पीडिता की मां एवं निरीक्षण घटनास्थल वादी की निशानदेही पर तैयार किया गया एवं अभियुक्त की तलाश की गयी। सी0 डी0 पर्चा नं0 2 मेरे द्वारा 28.02.2023 व को किता किया गया जिसमें महोदय के आदेशानुसार विवेचना थानाध्यक्ष महोदय को सुपुर्द की गयी। पत्रावली में मौजूद नक्शानजरी मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। जो वादी की निशानदेही पर मेरे द्वारा तैयार किया गया था। जिस पर प्रदर्श क-5 डाला गया।

न्यायालय द्वारा प्रश्न करने पर साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि -

प्रश्न- आपने पीड़िता को धारा 164 सी0 आर 0 पी0 सी0 के बयान के लिए मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष प्रस्तुत क्यों नहीं किया? **उत्तर**-मेरे पास विवेचना केवल दो दिन रही थी। दो दिन बाद ए 0 सी0 पी0 साहब के आदेश से थानाध्यक्ष महोदय को विवेचना सुपुर्द की थी।

बचावपक्ष द्वारा जिरह करने पर साक्षी द्वारा आगे कथन किया गया कि इस केस की विवेचना मुझे 27.02.2023 को मिली थी। वादी का बयान मैंने थाने पर किया था। पीडिता का बयान भी मैंने थाने पर लिया था। पीडिता की माँ का बयान भी मैने थाने पर लिया था। पीडिता का बयान महिला कांस्टेबल द्वारा लिया गया था मेरे द्वारा नहीं लिया गया था। नक्शा नजरी प्रदर्श क-5 पर वादी के कोई हस्ताक्षर नहीं है और यह बात सही है। घटना स्थल के आस पास वाले मकान में **रामदत्त का** मैंने कोई बयान नहीं लिया था क्योंकि वह मौके पर नहीं थे। पीडिता का मैने 164 सी0 आर 0 पी0 सी0 का बयान नहीं लिया था। पीडिता को मैने मेडीकल के लिए 28.02.2023 को महिला आरक्षी के साथ भेजा था। महिला आरक्षी का नाम याद नहीं है। पीडिता का मेडिकल कराने के बाद उसी दिन 28.02.2023 को विवेचना ट्रांसफर हो गयी। यह कहना गलत है कि नक्शा नजरी मौके पर न जाकर थाने पर बैठकर बना लिया हो। यह कहना भी गलत है कि मैने

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

पीडिता, पीडिता की मां वादी का बयान अपनी मर्जी से लिख दिया हो। यह कहना भी गलत है कि इसमे पीडिता के साथ पूरन ने कोई बलात्कार , नशीला पदार्थ, मारने पीटने जैसी घटना कारित न की हो। यह कहना भी गलत है कि विठला देवी और प्रीति ने भी पीड़िता के साथ कोई मार पीट न की हो।''

13. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 6 एस 0 आई ईश्वर सिंह तोमर** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''मै दिनांक-03.04.2023 से थाना जैतपुर पर बतौर थानाध्यक्ष नियुक्त हुआ था। उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे सुपुर्द हुयी। उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार व उपनिरीक्षक अवनीत मान द्वारा पूर्व विवेचना की गयी थी। दिनांक-06.04.2023 को मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर प्रारंभ की गयी। दिनांक-08.04.2023 को पर्ची नं0 13 किता किया गया जिसमें पीड़िता के मेडिकल की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से संबंधित चिकित्सक से तैयार कराई गयी तथा संबंधित डाक्टर रूचि रानी के बयान अंकित किये। दिनांक-17.04.2023 को पर्ची नं0 14 किता किया जिसमें घटना स्थल के आस पास के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 328 भा0 द 0 सं0 की बढोत्तरी की गयी। दिनांक-18.04.2023 को पर्चा नं0 15 किता किया गया जिसमें मुकदमा वादी के अजीद बयान अंकित किये गये। दिनांक-19.04.2023 को पर्चा नं0 16 किता किया गया जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्त का पूरन श्रीमती प्रीति को माननीय न्यायालय तलब कर धारा संशोधन किये जाने हेतु मा0 न्यायालय से अनुरोध किया गया। दिनांक-19.04.2023 को ही पर्चा नं0 17 किता किया गाय जिसमें अभियुक्तगण पूरन व प्रीति का मा0 न्यायालय उपस्थित होने पर रिमाण्ड पर धारा 328 भा0 द 0 सं0 की वृद्धि करते हुए रिमाण्ड संधोधित कराया गया। दिनांक 20.04.2023 को पर्चा नं0 18 किता किया गया जिसमें एफएससी रिपोर्ट हेतु रिमाण्डर भेजा गया तथा मुकदमा की विवेचनात्मक कार्यवाही शेष न होने पर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र संख्या 26/2023 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया था

जिस पर मेरे हस्ताक्षर भी है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। आरोप पत्र पर प्रदर्शक-6 डाला गया।

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि '' मैने इस मुकदमें की विवेचना 06.04.2023 को प्राप्त की थी। मुझसे पूर्व जितेन्द्र कुमार व अवनीत मान विवेचक रहे। पर्चा नं0 13 से पहले पूर्व विवेचक ने किसका बयान किस तारीख को लिया मुझे जानकारी नहीं है। डा0 रूचि के बयान मैंने हास्पीटल जाकर लिये थे। डा0 रूचि का बयान मैने भेजे जाने के लिए थाना हाजा से रवाना हुआ था। रवानगी का जी0 डी0 इन्द्राज किया था। इन्द्राज जी0 डी0 में किया था नहीं याद नहीं है। थाने से डा0 रूचि का बयान लेने के लिए 10 बजे गया था। वापस थाने किस टाइम आया था मुझे याद नहीं है। मैंने घटनास्थल के आस पास सुनीता, राधेश्याम और भगवती के बयान अंकित किये। नक्शे में रामदत्त पत्र राम सिंह का खेत, बच्चो का मकान, श्याम सिंह पुत्र बीटू का मकान पूर्व विवेचक द्वारा दर्शाया गया है इस लोगों के बयान मेरे द्वारा नहीं लिए गये। मुझसे पूर्व विवेचक द्वारा भी घटनास्थल के आस पास के लोगों के बयान नहीं लिय गये थे। कोल्ड ड्रिंक की खाली बोतल तलाश किया गया प्राप्त नहीं हुयी। एफ 0 एस 0 सी0 रिपोर्ट आरोप पत्र लगाने तक मुझे प्राप्त नहीं हुयी। यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा विवेचना थाने पर बैठकर की गयी हो। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पूरन, विठला व प्रीति के विरूद्ध झूठा आरोप पत्र प्रेषित कर दिया हो।''

14. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 7 उपनिरीक्षक अवनीत मान** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि ''मैं दिनांक 01.03.2023 को थाना जैतपुर में बतौर एस 0 ओ 0 तैनात था। उस दिन मुझे अपराध संख्या 13/2023 U/S 376 IPC बनाम पूरन की विवेचना हस्व आदेश श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय प्राप्त हुई थी। दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा पर्चा संख्या 3 किता किया गया था जिसमे पूर्व किता केस डायरी प्राप्त कर अवलोकन किया गया। थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता रेशमा की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसकी

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा ।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

नकल कर संलग्न सी.डी. की गयी और वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। मुखबिर मामूर किया गया। पीड़िता का शेष मेडीकल कराए जाने हेतु महिला कांस्टेबल अर्चना मय पीड़िता के जिला अस्पताल रवाना है। दिनांक 02.03.2023 को पर्चा संख्या 4 किता गया जिसमें अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी की गयी परन्तु दस्तयाब नहीं हो सका। मुखबिर से भी कोई लाभप्रद जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 03.03.2023 को पर्चा संख्या 5 किता किया गया जिसमें पीड़िता के डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट जो पैथोलौजी भेजी गयी थी, प्राप्त हुई जिसकी नकल सी.डी. कर संलग्न सी.डी. की गयी और पीड़िता का सीएमओ द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जिसमें पीड़िता की उम्र 20 वर्ष पायी गयी तथा जिसकी नकल कर संलग्न सी.डी. किया गया और पैथोलौजी नकल प्राप्त हुई जिसकी नकल कर संलग्न सी.डी. किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी लेकिन दस्तयाब नहीं हुआ और मुखबिर खास को मामूर किया गया। दिन 04.03.2023 को पर्चा संख्या 6 किता किया गया जिसमें मैं थानाध्यक्ष मय हमराह महिला कांस्टेबल रोशनी देवी मय पीडिता श्रीमती रेशमा व उसकी माँ रानी देवी के साथ बयान 164 CrPC कराने हेतु माननीय न्यायालय गया और माननीय न्यायालय में पीडिता की बयान 164 CrPC अंकित कराए गए और माननीय न्यायालय की अनुमति से पीडिता के बयान 164 CrPC का अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब दिनांक 25.02.2023 को मैं घर पर अकेली थी, तभी सुबह करीब 11-12 बजे मेरे पति के मामा पूरन आये और मेरी जेठानी भी आयी। उसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई और मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गयी। वहाँ मुझे नशा हो गया। जब मैं होश में आयी थी तो पूरन मेरे ऊपर था और मेरे कपड़े उतरे हुए थे। उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा मुझसे यह बात किसी से भी कहने से मना कर दिया। मैंने अपनी सास से शिकायत की तो मेरी सास और जेठानी ने मुझे रस्सी से बहुत मारा। जब पीड़िता से पूछा गया तो उसने

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

अपनी सास का नाम विठला देवी तथा जेठानी का नाम श्रीमती प्रीती बताया। पीड़िता के बयान 164 CrPC से सास श्रीमती विठला देवी और जेठानी श्रीमती प्रीती के नाम प्रकाश में तथा धारा 323, 120B का होना पाया गया। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 323, 120B की बढ़ोतरी की गयी और विठला देवी एवं श्रीमती प्रीती के नाम के बढ़ोतरी की गयी। दिनांक 10.03.2023 को पर्चा संख्या 7 किता किया गया जिसमें अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी की गयी परन्तु दस्तयाब नहीं किया गया और मुखबिर मामूर किया गया। दिनांक 12.03.2023 को पर्चा संख्या 8 किता किया गया जिसमें अभियुक्त पूरन को गिरफ्तार किया गया और उसके बयान अंकित किये गये और माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड स्वीकृत कराया गया। दिनांक 14.03.2023 को पर्चा संख्या 9 किता किया गया जिसमें एफ एस एल भेजे के माल की रिसीविंग प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर नकल सी.डी. की गयी और शेष वांछित अभियुक्तागण की तलाश की गयी और मुखबिर मामूर किया गया। दिनांक 20.03.2023 को पर्चा संख्या 10 किता किया गया जिसमें -अभियुक्ता प्रीती को लाज लज्ञा का ध्यान रखते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व उसके बयान अंकित कर माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड स्वीकृत कराया था। अभियुक्ता विठला देवी को नोटिस 41।CrPC तामील कराते हुए उनके बयान अंकित किये गये। दिनांक 28-03-2023 को पर्चा संख्या 11 किता किया गया जिसमें एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु स्मृति पत्र भेजा गया और एफ एस एल से आख्या प्राप्त हुई कि अभी प्रकरण परीक्षण के क्रम पर नहीं आया है। तत्पश्चात मेडीकल कर्ता डाक्टर रुचि रानी के बयान अंकित करने व पूरक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु जिला महिला चिकित्सालय गया लेकिन डाक्टर नहीं मिलीं। तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो गया।

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि '' मुझे इस केस की विवेचना 28-02-2023 को मिली थी। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिये थाने से रवानगी वापसी का इन्द्राज जी०डी० में किया गया था। अभियुक्त के घर पर दबिश

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

दी थी लेकिन घर पर कोई नहीं मिला था। अभियुक्त के घर पर हम रात को 7 और 8 के बीच में पहुँच गये थे तथा हम थाने 8 और 8-30 के लगभग आ गये थे। जी०डी० में वापसी करायी तथा उसके बाद पर्चा किता किया गया। पर्चा संख्या 4 में भी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी है। पर्चा संख्या 5 में पैथोलौजी रिपोर्ट थाने की डाक से प्राप्त हुई थी। सी.म.ओ के पीड़िता की आयु संबंधित रिपोर्ट में पीड़िता 20 वर्ष आयी है ये बात सही है। पर्चा संख्या 6 में पीड़िता रेशमा देवी के बयान अन्तर्गत धारा 164 CrPC कराये गये। पीड़िता के बयान कराने मैं साथ आया था। पीड़िता के धारा 161 CrPC के बयान पूर्व विवेचक द्वारा लिए गये थे। मेरे द्वारा पीड़िता का बयान 161CrPC नहीं लिया गया था। विठला देवी द्वारा कथित रस्सी से मारपीट करने वाली बात बतायी गयी है उस रस्सी को मेरे द्वारा बरामद नहीं किया गया। मेरे द्वारा कोल्डड्रिंक की बोतल बरामद नहीं की गयी। मेरे द्वारा पीड़िता के कपड़े नहीं लिए अभियुक्त पूरन की गिरफ्तारी का जनता का कोई गवाह नहीं लिया गया। एफ एस एल के लिए मेरे द्वारा भेजा गया था कि नहीं मुझे याद नहीं है। अभियुक्ता प्रीती की गिरफ्तारी मेरे द्वारा लखनपुरा से समय 11-20 बजे की गयी थी। गिरफ्तारी का कोई जनता का गवाह नहीं था। डाक्टर रुचि के बयान लेने के लि, मैंने जी०डी० में रवानगी व वापसी की थी इस समय मुझे याद नहीं। इसके बाद मेरा स्थानान्तरण अन्य थाने में हो गया। यह कहना गलत है कि अभियुक्त पूरन, विठला देव और प्रीति को इस केस में झूठा फंसाया गया है। यह कहना भी गलत है कि पीड़िता के ससुरालीजन एवं मायकापक्ष में पारिवारिक विवाद चल रहा हो जिसके कारण झूठा केस बनाया गया हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है।''

15. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 8 डा0 वन्दना तुलसी** द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि सन् 2012 से लेकर आज तक मैं जिला महिला चिकित्सालय आगरा में बतौर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। डॉ० रूचि रानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो मेरे साथ तैनात रही है। मैंने उनको लिखते-पढ़ते

देखा है और मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानती हूँ। इस मुकदमे की पीड़िता रेशमा का डाक्टरी परीक्षण डा० रुचि रानी द्वारा किया गया था। जो पत्रावली पर कागज सं० 6 क/1 लगायत 6 क/11 मौजूद है जो डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। जिस पर प्रर्दश क-7 डाला गया। पीड़िता रेशमा की पूरक रिपोर्ट भी डा० रुचि रानी द्वारा तैयार की गयी थी। जो कि पत्रावली पर कागज सं० 6 क/13 लगायत 6 क/14 मौजूद है, जो डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। जिस पर प्रर्दश क-8 डाला गया। MLPC reference form पैथोलाजिस्ट व रेडियोलाजिस्ट के लिए डा० रुचि रानी द्वारा तैयार किए गए थे, जो कि पत्रावली पर क्रमश रू कागज सं० 16 व 17 मौजूद है जो डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। जिस पर क्रमश प्रर्दश क-9 व प्रर्दश क-10 डाला गया।

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''मैं आज मेडिकललिगो रजिस्टर साथ नही लेकर आयी हूँ। मैं और डा० रुचि रानी साथ- साथ जिला महिला चिकित्सालय आगरा मे कार्य किया था। दिनांक 28-02-2023 को मैं अस्पताल गयी थी या नही यह आज मुझे ध्यान नही है। मेरे अधिकारी के पास द्वितीयक साक्ष्य के लिए समन गया था। मेरे अधिकारी ने मुझे द्वितीयक साक्ष्य के लिए अधिकृत किया था। डा० रुचि रानी अस्पताल में कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी करती थी, मुझे ध्यान नही है। यह कहना गलत है कि मेडिकल रिपोर्ट, पूरक रिपोर्ट डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में न हो।''

<u>बयान 313 द.प्र.सं-</u>

16. आरोपी का बयान आईपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया। अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षियों के बयान को झूठा बताते हुए स्वयं को निर्दोष बताया। तथा अभियुक्तगण द्वारा अपने बचाव में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया गया परन्तु बचाव साक्षी रामवीर को माननीय न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया।

17. **बचाव पक्ष की ओर से साक्षी डी0 डब्ल्यू0 1 रामवीर** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा और पीड़िता रेशमा का एक ही मकान है। मैं रेशमा का चचिया ससुर हूँ। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दिनांक 25-02-2023 को करीब 2 बजे मैं घर पर ही था। उस दिन पूरन घर पर नही आया था। पीड़िता रेशमा के मायके वाले अनुज (पीड़िता का भाई), पूरन, प्रीती, विठला देवी को फसाना चाहते थे। अनुज ने इन लोगों के विरुद्ध दबाव बनाने के लिये झूठा मुकदमा किया था। इस समय पीड़िता रेशमा अपनी ससुराल पुरा जाख मे ही रह रही है। आज मै पूरन के कहने पर सफाई साक्ष्य देने आया हूँ। आज मैं अपनी स्वेच्छा से बयान देने न्यायालय मे आया हूँ।

18. **साक्षी डी0 डब्ल्यू0 1 रामवीर** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ''आज मैं पूरन, प्रीती और बिठला के केस में गवाही देने आया हूँ। पूरन के खिलाफ 376 IPC का मुकदमा चल रहा है। बिठला और प्रीती के विरुद्ध मार पीट और कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने, रेशमा को पिलाने के सम्बंध मे चल रहा है। मैं और मेरे परिवारीजन, रेशमा एक बड़ी बाउंड्री है उसमे बने अपने अपने घरो मे रहते है। मै बिना पढ़ा लिखा हूँ, मै घटना की तारीख नही बता सकता। जिस दिन पीड़िता के साथ घटना हुयी थी उस दिन मैं 2 बजे खेत से घर पर आ गया था। उससे पहले मैं अपने खेत पर ही था। उस समय खेत मे गेहूँ की फसल खड़ी थी और गेहूँ मे पानी लग रहा था। मैं हर समय पीड़िता के पास नहीं रहता। घटना वाले दिन मै सुबह घर से खेत पर गया था। घटना वाले दिन दिनांक 25-02-2023 को सुबह 11-12 बजे या 2 बजे से पहले पूरन पीड़िता के घर आया हो तो मैं नही बता सकता हूँ। मेरे सामने पूरन द्वारा कोल्ड ड्रिंक लाने और प्रीती द्वारा पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाने और पूरन द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने की घटना नही हुयी क्योकि मैं खेत पर था। पीड़िता अपने पति सोनू व परिवारीजन के साथ

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

राजी खुशी रहती थी और उनमे लड़ाई झगड़ा नही होता था। पीड़िता के मायके वाले, रेशमा के जेठानी प्रीती और सास बिठला देवी एवं बिठला के भाई पूरन को क्यों फंसाना चाहते थे, यह मुझे नहीं पता। पीड़िता अपनी ससुरालीजन पर कोई दबाव बनाना नहीं चाहती थी। यह बात सही है कि पूरन के द्वारा पीड़िता के साथ कथित घटना करने के बाद से पीड़िता की प्रीती और बिठला देवी से बिगड़ गयी थी। पीड़िता की शादी सोनू के साथ करीब 4 साल पहले हुयी होगी। अभियुक्त पूरन भाई का साला होने की वजह से मेरा भी साला लगता है। बिठला मेरी भाभी और प्रीती मेरी भतीजे बहू लगती है। यह बात सही हैं कि आज मैं पूरन के कहने पर न्यायालय मे गवाही देने आया हूँ। यह कहना गलत है कि यह बात मेरी पूरी तरह जानकारी मे हो कि पूरन ने नशे कि स्थिति मे पीड़िता के साथ बलात्कार किया हो परन्तु आज मैं जानबूझकर न्यायालय मे सही बात नहीं बता रहा हूँ। यह कहना भी गलत हैं कि मुल्जिमान मेरा रिश्तेदार व परिवार के होने की वजह से मैं किसी दबाव या लोभ लालच में न्यायालय में झूठी गवाही दे रहा हूँ।''

19. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

<u>निष्कर्ष</u>

20. प्रस्तुत मामले मे पीडिता के भाई अनुज वादी मुकदमा द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना जैतपुर जनपद आगरा को दी गयी तहरीर दिनांकित 27.02.2023 प्रदर्श क–1 यह कथन किया गया कि – मेरी बहन रेशमा उम्र करीब 23 साल कि शादी 7 मई 2020 को सोनू पुत्र रामचरन निवासी पुरा जाखं थाना जैतपुर आगरा के साथ हिन्दु रीति रिवाज से सम्पन्न हुयी थी। दिनांक–25.02.2023 को करीब 2 बजे दिन में मेरी बहन रेषमा अपनी ससुराल में अकेली थी तभी मेरे जीजा सोनू के मामा पूरन पुत्र गंगाराम निवासी खनियन थाना बलरई ईटावा घर पर आया और मेरी बहन रेशमा के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया जिसकी सूचना मेरी

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

बहन ने फोन पर मेरी मां को दी जिसके बाद मैं मेरी मां के साथ अपनी बहन रेशमा के ससुराल आया। श्रीमान जी, आज मैं बहन को साथ लेकर थाने आया हूँ, रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।''

21. वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर मु.अ.सं. 13/2023 अं0 धारा 376, 323, 328, 120 बी आई.पी.सी., थाना जैतपुर में अभियुक्तगण पूरन, के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना पीडिता के बयान धारा 164 सी0 आर 0 पी0 सी0 के बयान व संकलित साक्ष्य तथा कृत विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण श्रीमती प्रीति, श्रीमती विठला, की वढोत्तरी करते हुये अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीति, श्रीमती विठला, के विरूद्ध अं0 धारा 376, 323, 328, 120 बी आई.पी.सी., का अपराध भली–भांति प्रमाणित पाते हुए आरोप पत्र दिनांक– 26.04.2023 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

22. **अभियुक्त पूरन** पर यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक– 25.02.2023 को समय 02.00 बजे स्थान मकान स्थित ग्राम पुरा जाख थाना जैतपुर जिला आगरा के अन्तर्गत अभियुक्त पूरन ने अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एवं आपराधिक षंडयत्र कारित करते हुये वादी मुकदमा की बहन पीडिता को कोल्ड ड्रिक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्व बलात्संग किया एंव स्वेच्छा मारपीट कर साधारण चोटें पहुचायीा

23. **अभियुक्ता श्रीमती प्रीति** पर यह आरोप विरचित किया गया है कि उपरोक्त दिनांक, समय स्थान पर अभियुक्ता श्रीमती प्रीति द्वारा अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित करते हुये वादी मुकदमा की बहन पीडिता के साथ अपराध करने के आशय से उसे कोल्ड ड्रिकं में नशीला पदार्थ पिलाकर उपहति कारित की तथा सामान्य अग्रसरण में पीडिता की स्वेच्छा मारपीट कर साधारण चोटे पहुचायीा

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

24. **अभियुक्ता श्रीमती विठला** पर यह आरोप विरचित किया गया है कि उपरोक्त दिनांक स्थान व समय पर अभियुक्ता श्रीमती विठला द्वारा अपने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी मुकदमा की बहन पीडिता की स्वेच्छा मारपीट कर साधारण चोटे पहुचायी गयीा

25. पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के आधार पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये यह कहा गया गया कि अभियुक्त पूरन प्रथम सूचना रिपोर्ट मे नामजद है तथा अभियुक्त पूरन द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित करते हुये वादी की बहन 'पीड़िता' को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग किया तथा अभियुक्तगण ने पीडिता के साथ मारपीट कर उसे साधारण चोटें पहुचायीं, जिसके सम्बन्ध में पीडिता ने अपने बयान धारा 164 सी० आर० पी० सी० में स्पष्ट कथन किया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपो को विश्वसनीय साक्षी स्वंय वादी मुकदमा/पीडिता द्वारा साबित किया गया है तथा अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप युक्ति युक्त संदेह से परे साबित है।

26. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नही किया है, अभियोजन की तरफ से वादी मुकदमा पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने तथा पीडिता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने के संबध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है और न ही अभियुक्त पूरन द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से होती है।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि पीडिता बालिग है तथा अपना अच्छा बुरा समझने में वह स्वंय सक्षम है। प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दो दिन विलम्ब से सोच विचार के अभियुक्त के विरूद्ध दर्ज करायी है जिसके आधार पर अभियोजन कथानक को प्रमाणिक नही माना जा सकता है तथा साक्षी पी डब्लू 1 जो मामले की पीडिता है, उसके बयानो में गंम्भीर

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

विरोधाभाष है,जिससे भी कथित घटना संदिग्ध हो जाती है, ऐसी स्थिति मे अभियुक्त अधिरोपित आरोपो से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

28. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित गवाह पीडिता के परिवार के रिश्तेदार है,कोई स्वतंत्र गवाह नही है,जिन्होने पीडिता को अभियुक्त के घर आते जाते देखा हो।

29. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न तो पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने की पुष्टि किसी चिकित्सीय साक्ष्य से होती है न ही पीडिता के साथ मारपीटकर चोटे पहुचाये जाने की पुष्टि किसी प्रलेखीय अथवा मौखिक साक्ष्य से होती है। पीडिता व उसके परिवार वालों ने अभियुक्तगण को झूठे मुकदमें फंसाया है।

30. वर्तमान परिदृश्य मे इस तथ्य से इंकार नही किया जा सकता कि बलात्कार महिलाओं के खिलाफ होने वाला सर्वाधिक हिंसक अपराध है, जो न केवल उनकी शारीरिक अखंडता को नष्ट करता है, बल्कि व्यक्तिगत व सामाजिक संबंधों के उनकी विकास की क्षमता को बाधित कर उनके जीवन व जीविका को प्रभावित करता है। बलात्कार की शिकार महिला को मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक संत्रास से गुजरना पड़ता है, जिस पर कार्रवाई करने की गहरी आवश्यकता होती है, ताकि वह महिला एक गरिमापूर्ण व सार्थक जीवन जी सके परंतु आपराधिक दंड विधान के मामलो मे किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी सिद्ध नही माना जा सकता जब तक उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपो को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध न कर दिया जाये। विधि का यह सामान्य सिद्धांत है कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न हो व इसी कारण यदि कोई संदेह उत्पन्न होता है, तो संदेह का लाभ आरोपी को दिया जाना चाहिए लेकिन यही यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त संदेह किसी कल्पना, अटकलों या अंदाजो के आधार पर न होकर मजबूत आधारो पर आधारित होना चाहिए। युक्तियुक्त संदेह साधारण तौर पर संदेह की वह श्रेणी है जो किसी न्यायसंगत और युक्तियुक्त व्यक्ति को कोई निष्कर्ष निकालने की अनुमति देता है।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

दाण्डिक विधि विनिश्चायक सबूत की अपेक्षा नहीं करती तथा वह केवल युक्तियुक्त संदेह से परे सबूत की अपेक्षा करती है।

31. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उ.प्र. राज्य बनाम रांझा राम आदि (1986) 4 एस.सी.सी. 99}** मे यह अभिनिर्धारित किया है, कि युक्तियुक्त सन्देह से किसी भी समय किसी विवाद के बारे में हम में से किसी के दिमाग से उत्पन्न होने वाला कोई तुच्छ, हवाई या सारहीन सन्देह अभिप्रेत नहीं है, इससे ऐसा सन्देह अभिप्रेत नहीं है, जो दोषसिद्धि में हिचकिचाहट की भावना से उत्पन्न हुआ है। इससे युक्तियुक्तता पर आधारित वास्तविक संदेह अभिप्रेरित है।

32. **शिवाजी साहब राय व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, ए.आई.आर. 1973 एस.सी. 2622, व आशीष बाथम बनाम म.प्र. राज्य, 2003 (1) एम.पी.एच.टी. 1 एस.सी.**के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विनिश्चय किया गया कि निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है, कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी ''होना चाहिए'' न कि केवल ''दोषी हो सकता है''। ''हो सकता है तथा ''होना चाहिए'' के बीच वास्तविक अन्तर बहुत लम्बा है जो अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है। हमें इस बात से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए कि किसी दाण्डिक विचारण में सबूत की कोटि उससे अधिक कड़ी होती है जितनी सिविल कार्यवाहियों में अपेक्षित होती है। किसी दाण्डिक विचारण में मामले के तथ्य और परिस्थितियॉ चाहे कितनी ही पेचीदा क्यो न हो, फिर भी अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को सभी युक्तियुक्त सन्देहों से परे साबित किया जाना चाहिए और सबूत की अपेक्षा को कल्पनाओं और अनुमानों के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता है। जब अभिकथित अपराधों के संबंध में अभियुक्त के निर्दोष होने के बाबत् युक्तियुक्त संदेह है, फिर भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि किसी दाण्डिक विचारण में सबूत के लिये कोई पूर्ण स्तरमान नहीं है और यह प्रश्न कि क्या अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोप किसी युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हो गये हैं। प्रत्येक मामले के तथ्यों

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

और परिस्थितियों पर तथा उस मामले में प्रस्तुत की गई साक्ष्य की श्रेणी ओर अभिलेख पर रखी गई सामाग्री पर निर्भर करता है।

33. **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उ प्र.राज्य बनाम अनिल सिंह, 1989–1 उम.नि.प. 977** के मामले में न्यायालयों की साक्ष्य में फर्क होने की दशा में सारे मामले को झूंठा मानकर अस्वीकार करते हुए सुगम मार्ग अपनाने की भर्तसना की गई तथा यह कहा गया कि न्यायालय का कर्तव्य यह है, कि वह वास्तविक सच्चाई का पता लगाये। न्यायाधीश मात्र इसलिए दाण्डिक विचारण में पीठासन नहीं होता है, कि वह यह सुनिश्चित करें कि किसी निर्दोष व्यक्ति को दंडित न किया जाए। न्यायाधीश इसलिए भी पीठासीन होता है–जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई दोषी व्यक्ति दंडित होने से न बच जाए। दोनों ही महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं, जिनका न्यायाधीश को पालन करना होता है।

34. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ से यह तथ्य प्रकट होता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कितना भी प्रबल संदेह हो परन्तु जब तक वैध साक्ष्य तथा अभिलेख की विषय वस्तु के आधार पर युक्तियुक्त शंका के परे दोषारोपण सिद्ध नहीं होता है, तब तक अभियुक्त को दण्डित नहीं किया जा सकता है।

35. सर्वप्रथम धारा **375 भा.दं.सं**.के लिये यह आवश्यक है कि– मनुष्य "बलात्संग" करता है,यह कहा जाता है यदि वह –

(क)–अपने लिंग को किसी भी सीमा तक, स्त्री के योनि,मुख, मूत्रनली या गुदा में प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है; या

(ख)– किसी वस्तु या शरीर के ऐसे किसी अंग को,जो लिंग नही है ,स्त्री की योनि,मूत्रनली या गुदा में किसी सीमा तक प्रवेश करता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है ; या

(ग)– स्त्री के शरीर के किसी अंग से इस प्रकार का हस्तसाधन करता है जिससे कि ऐसी स्त्री की योनि,मूत्रनली,गुदा या शरीर के किसी अंग में प्रवेशन कारित किया जाये या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है ; या

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

(घ)–अपने मुख को एक स्त्री की योनि, गुदा,मूत्रनली पर लगाता है या उससे अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराता है या ऐसा करने के लिए निम्नलिखित सात में से किसी एक प्रकार की परिस्थिति में कहता है: –

1)उस स्त्री की इच्छा के विरुद्ध।

2)उस स्त्री की सम्मति के बिना।

3)उस स्त्री की सम्मति से जबकि उसकी सहमति, उसे या ऐसे किसी व्यक्ति, जिससे वह हितबद्ध है, को मृत्यु या चोट के भय में डालकर प्राप्त की गई है।

4)उस स्त्री की सम्मति से, जबकि वह पुरुष यह जानता है कि वह उस स्त्री का पति नहीं है और उस स्त्री ने सम्मति इसलिए दी है कि वह विश्वास करती है कि वह ऐसा पुरुष है। जिससे वह विधिपूर्वक विवाहित है या विवाहित होने का विश्वास करती है।

5)उस स्त्री की सम्मति के साथ, जब वह ऐसी सम्मति देने के समय, किसी कारणवश मन से अस्वस्थ या नशे में हो या उस व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रबन्धित या किसी और के माध्यम से या किसी भी बदतर या हानिकारक पदार्थ के माध्यम से, जिसकी प्रकृति और परिणामों को समझने में वह स्त्री असमर्थ है।

6)उस स्त्री की सम्मति या बिना सम्मति के जबकि वह 18 वर्ष से कम आयु की है। उस स्त्री की सम्मति जब वह सम्मति व्यक्त करने में असमर्थ है।

स्पष्टीकरण 1 – इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "योनि" के अन्तर्गत वृहत् भगौष्ठ भी है।

स्पष्टीकरण 2– सम्मति का मतलब एक स्पष्ट स्वैच्छिक सम्मति होता है– जब स्त्री शब्दों, इशारों या किसी भी प्रकार के मौखिक या गैर–मौखिक संवाद से विनिर्दिष्ट लैंगिक कृत्य में भाग लेने की इच्छा व्यक्त करती है; बशर्ते एक स्त्री जो शारीरिक रूप से प्रवेश के लिए विरोध नहीं करती, केवल इस तथ्य के आधार पर यौन गतिविधि के लिए सहमति नहीं माना जाएगा।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा ।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

अपवाद 1– एक चिकित्सा प्रक्रिया या हस्तक्षेप बलात्कार संस्थापित नहीं करेगा। बलात्संग के अपराध के लिए आवश्यक मैथुन संस्थापित करने के लिए प्रवेशन पर्याप्त है ।

अपवाद 2– पुरुष का अपनी पत्नी के साथ मैथुन बलात्संग नहीं है जबकि पत्नी पन्द्रह वर्ष से कम आयु की नहीं है।

36. **धारा–323 IPC** के अनुसार जो कोई स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह इन दोनो में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनो से दण्डित किया जायेगा।

धारा 120 बी IPC आपराधिक षडयंत्र करने की सजा से सम्बन्धित है इसके तहत यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी अपराध को करने या गैर कानूनी कार्य की योजना बनाते है तो उन्हें मुख्य अपराधी के समान ही दोषी माना जाता है

37. **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–328** के अंतर्गत **किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने के आशय से विष या नशा करने वाली अस्वास्थ्यकर औषधि दिये जाने के सम्बन्ध में दण्डित किये जाने का प्रावधान किया गया है।**

उक्त धारा को सिद्ध करने के लिये अभियोजन को यह साबित करना अनिवार्य है कि अभियुक्त विष, नशीला पदार्थ आदि देने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देने के तथ्य को कारित करने के लिये सीधे तौर पर उत्तरदायी है।

38. उक्त आरोपो के सबँध मे यह भी देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीति व श्रीमती विठला के विरुद्व आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है अथवा नहीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ही Lallu Manjhi Vs. State of Jharkhand (2003) 2 SCC 401 द्वारा किसी साक्षी के मौखिक साक्ष्यो की

ग्राह्यता को तीन प्रकार मे विभाजित करते हुये यह कहा गया कि किसी भी साक्षी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इन तीन प्रकारो मे ही शामिल होगा :

(a). Wholly reliable

(b). Wholly unreliable, and

(c). neither wholly reliable nor wholly unreliable.

तथा यह भी कहा गया कि तृतीय श्रेणी वाले साक्ष्य के सबँध मे न्यायालय को सावधानी वरतनी चाहिये तथा उक्त साक्षी के वयानो को अन्य साक्षी के वयानो के संपुष्टता या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य या विशेषज्ञा साक्ष्य के साथ ही देखा जाना चाहिये ।

39. पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बलात्कार के मामले मे पिड़िता की स्थिति व उसके साक्ष्य के सबँध मे यह स्पष्ट करते हुये निम्न विधि व्यवस्था **In Raju v. State of Madhya Pradesh, (2008) 15 SCC 133,** मे यह कहा गया कि

" The aforesaid judgements lay down the basic principle that ordinarily the evidence of a prosecutrix should not be suspected and should be believed, more so as her statement has to be evaluated on a par with that of an injured witness and if the evidence is reliable, no corroboration is necessary.

Vijay v. State of M.P 2010 8 SCC 191, के वाद मे भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि

"Thus, the law that emerges on the issue is to the effect that the statement of the prosecutrix, if found to be worthy of credence and reliable, requires no corroboration. The court may convict the accused on the sole testimony of the prosecutrix."

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा ।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

40. उपरोक्त विधि व्यवस्थाओ मे स्पष्ट रुप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि **बलात्कार जैसे मामलो मे केवल पीड़िता द्वारा दिये गये कथनो को भी स्वीकार किया जायेगा तथा उसके वयान को किसी अन्य साक्षी के बयान से सम्पुष्ट किया जाना आवश्यक नही है लेकिन यह आवश्यक है कि उक्त साक्षी के बयानों से संदेह न हो या ऐसी परिस्थितिया न हो जो उसके साक्ष्यो की विश्वसनीयता को संदिग्ध बनाते हो।** उपरोक्त तथ्यो के परीपेक्ष्य मे प्रस्तुत मामले मे यह देखा जाना है कि क्या मामले की पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वासनीय है जिसके आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपो को युक्ति युक्त संदेह से परे सिद्ध किया गया है।

41. न्यायालय को यह विनिश्चित करना है कि क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त पूरन द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आपराधिक षडयत्र कारित करते हुये पीडिता को कोल्ड ड्रिक में नशीला पदार्थ पिलाकर अभियुक्त पूरन द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग किया जाना व अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ स्वेच्छा मारपीट कर साधारण चोटे पहुँचाए जाने का तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने मे सफल रहा है अथवा नहीं।?

42. अभियोजन की तरफ से अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपो को सिद्ध करने के लिये तथ्य के 3 साक्षी पेश किये गये जिनमे वादी मुकदमा पी० डब्लू० 1 अनुज पीडिता का भाइ)पी० डब्लू० 2 पीडिता व पी० डब्लू० 3 को मौखिक साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है।

43. वादी मुकदमा अनुज जो पीडिता का भाई है,ने तहरीर प्रदर्श क 1 में कथन किया है कि दिनांक–25.02.2023 को करीब 2 बजे दिन में मेरी बहन रेशमा अपनी ससुराल में अकेली थी तभी मेरे जीजा सोनू के मामा पूरन पुत्र गंगाराम निवासी खनियन थाना बलरई ईटावा घर पर आया और मेरी बहन रेशमा के साथ जबरदस्ती करते हुए बलात्कार किया जिसकी सूचना मेरी बहन ने फोन पर मेरी मां

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

को दी जिसके बाद मैं मेरी मां के साथ अपनी बहन रेशमा के ससुराल आया। श्रीमानजी, आज मैं अपनी बहन को साथ लेकर थाने आया हूँ, रिपोर्ट लिखकर कार्यवाही करने की कृपा करें।

44. अभियोजन की ओर से **साक्षी पी0 डब्लू01 अनुज** जो कि पीडिता का भाई है, को साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरी बहन (पीड़िता) की शादी 07.05.2020 को सोनू पुत्र रामचरन पुत्र जॉख के साथ हिन्दु रितीरिवाज के साथ सम्पन्न हुयी थी। मेरे पिता के मामा पूरन मेरी बहन पर बुरी नीयत रखते थे। दिनांक–25.02.2023 को दिन में मेरी बहन रेशमा ससुराल में अकेली थी तो सोनू के मामा पूरन पुत्र गंगाराम निवासी खनियन, थाना बलरई इटावा मेरी बहन के साथ जबरदस्ती करते हुए उसके साथ डरा धमकाकर बलात्कार किया। जिसकी सूचना मेरी बहन ने मेरी मां रानी को फोन पर बतायी थी। मां ने भी मुझे मेरी बहन के साथ हुयी पूरी घटना बतायी थी। उसके बाद मैं अपनी मां के साथ अपनी बहन के ससुराल आया था, तो मेरी बहन ने भी अपने साथ हुयी घटना के बारे में रो–रो कर बताया। उसके बाद हम अपनी बहन के साथ हुई घटना के बारे में थाना जैतपुर रिपोर्ट लिखवाने गये। जो थाने में मैने तहरीर लिखकर दी थी। वह पत्रावली पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। मै अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। इस घटना के संबंध में मेरी बहन का डाक्टरी परीक्षण व मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष बयान हुए थे।

45. साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''मेरी बहन की शादी के 4–5 दिन बाद ही ससुराल में विवाद चालू हो गया था। मेरी बहन के ससुराल वाले पैसे व सामान आदि की मांग करते थे। गांव में इसके बावत पंचायत हुयी थी। बाद में पंचायत नहीं मानी तब मैने अपनी बहन के बारे मे ससुराल वालों से शिकायत की थी। इटावा न्यायालय में अभी भी बहन का मुकदमा चल रहा है। **फोन से मेरी बहन ने मुझे सूचना नहीं दी। मेरी मां को ही दी।** किस फोन नं0 से फोन किया था

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा ।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

मुझे याद नहीं है। कितने बजे सूचना दी थी मुझे ध्यान है। **तहरीर प्रदर्श क–1 मैने अपने हाथ से लिखी है। तहरीर का कागज मैने थाने से लिया था। तहरीर मैने थाने पर बैठकर लिखी थी। तहरीर पर तारीख पर कटिंग मेरे द्वारा की गयी है।** यह कहना गलत है कि पूरन ने मेरी बहन के साथ कोई न बलात्कार किया, न कोई नशीला पदार्थ खिलाया और न ही कोई मारपीट की। श्रीमती प्रीति ने कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खिलाया और न ही मारपीट की है। यह कहना भी गलत है कि श्रीमती विठला देवी ने कोई मारपीट नहीं की। यह कहना गलत है कि मैंने अपनी बहन के ससुरालीजन के विरूद्ध दबाव बनाने के लिए यह झूठा मुकदमा लिखा दिया हो।''

46. साक्षी पी0 डब्लू01 वादी मुकदमा के कथनानुसार तथाकथित घटना की सूचना पीडिता द्वारा उसकी मां को फोन पर दी थी तथा तहरीर प्रदर्श क 1 उसने स्वंय अपने हाथ से लिखकर थाने में दी थी। उक्त साक्षी ने यह भी कथन किया है कि पूर्व में पीडिता के ससुराल पक्ष से दहेज की मांग के संबध में आपसी विवाद था व जिसके संबध में मुकदमा भी हुआ था।

47. अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्लू03 रानी देवी,** जो कि पीडिता की माँ है,के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है कि दिनांक–25.02.2023 की बात है लगभग शाम के 4–5 बज रहे थे। मेरे पास मेरी बेटी पीड़िता का फोन आया। फोन पर वह काफी रो रही थी। उसके द्वारा बताया गया कि मम्मी मेरे साथ सोनू के मामा पूरन ने गलत काम किया है। घर पर जब मैं अकेली थी तो कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर मुझको दे दिया। जिससे मैं बेहोशी की स्थिति में हो गयी। तब मेरे साथ पूरन द्वारा बलात्कार किया गया। मैंने पूछा तो जेठानी व सास कहां थी। तो बेटी ने बताया कि दोनों पडोस में चली गयी। **जेठानी ने ही मुझे कोल्ड ड्रिंक दी थी।** इसके बाद मैंने अपने बेटे अनुज व पति को बताया तो मेरे पति द्वारा उसी दिन मेरे दामाद सोनू को फोन किया गया। *पति ने दामाद सोनू से कहा कि रिपोर्ट लिखाने मेरी बेटी को थाने लेकर जाओ तो फोन*

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

करने के थोडी देर बाद सोनू ने मुझे फिर फोन किया और कहा कि मैं जयपुर हूं। मैं घर जाकर बात करूंगा। मैंने ही सोनू से कहा कि रिपोर्ट कराओं और मेडिकल के लिए लेकर जाओ। सोनू ने फोन बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही मैं और मेरा बेटा, बेटी की ससुराल पहुंच गये। बेटी की स्थिति चिंताजनक थी तथा बहुत रो रही थी। तब मै और मेरा बेटा, बेटी को अपने साथ थाने जैतपुर ले गया। जहां मेरे बेटे ने तहरीर लिखी थी जो मेरी बेटी ने बोल बोल कर लिखाई थी। पुलिस मेरी बेटी को मेडिकल कराने एक दिन बाद ले गयी थी। मैं अपनी बेटी के साथ मेडिकल के लिए गयी थी। दरोगा जी ने मुझे घटना के बावत पूछताछ की थी।

साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''मुझे अपनी बेटी की शादी की तारीख याद नहीं है। शादी से पहले मैं लडकी के परिवार को देखने नहीं गयी थी। शादी के बाद मैं अपनी बेटी के ससुराल दो बार गयी हूं। शादी में एक लाख का सामान, एक मोटर साईकिल व 50 हजार रूपये नगद दिया था। इतने सामान से लडकी के ससुराल वाले खुश नहीं थे। शादी के तीसरे दिन ही लडकी को परेशान करना शुरू कर दिया और कहा कि अतिरिक्त दहेज में भैंस व बकरी लेकर आओ तब तुम्हारी बेटी को रखेंगे। *मेरी बेटी ने इटावा में दहेज का मुकदमा डाला था। मेरी बेटी इस मुकदमे की घटना के बाद भी समझौते के बाद भी अपने घर गयी थी।* 25.02.2023 को किस नम्बर से फोन आया था मुझे याद नहीं है। इस मुकदमें से पहले भी मैं अपनी लडकी के ससुराल कई बार गयी। मेरी पुत्री की कोई संतान नहीं थी। 26 तारीख को मैं अपनी मोटरसाईकिल से बेटी की ससुराल गयी थी। कहना गलत है कि मेरी बेटी ने पूरन, सास व जेठानी के विरूद्ध झूठा मुकदमा लिखाया हो। यह कहना भी गलत है कि मेरी बेटी ने अपने ससुरालीजनों के विरूद्ध अतिरिक्त दहेज मांगे जाने के कारण दबाव बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखाया हो।''

48. यघपि अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू01 व पी0 डब्लू03 घटना के प्रत्यक्षदशी साक्षी नही है, किन्तु उपरोक्त साक्षीगण द्वारा साक्षी पी0 डब्लू03 को

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

तथाकथित घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित करने पर घटना के दिनांक को शाम चार पांच बजे पीडिता द्वारा अपनी मां को सूचना दिये जाने का कथन किया गया है।कथित घटना दिनांक 25.02.2023 को दोपहर 2 बजे की बतायी गयी है। दिनांक 04.03.2023 को पीडिता का बयान धारा 164 सी0 आर 0 पी0 सी0 मजिस्ट्रेट के समक्ष अंकित कराया गया है, जिसमें उसने कथन किया है कि– ''मेरी उम्र 18 वर्ष है। **25.02.2023 को मैं घर पर अकेली थी। सुबह करीब 11–12 बजे थे तब मेरे पति के मामा पूरन आये। तब मेरी जेठानी भी आयी। उसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई। मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गयी। वहां मुझे नशा हुआ। जब होश में आयी तो पूरन मेरे ऊपर था। मेरे कपडे उतरे हुए थे। उन्होने मेरे साथ शारीरिक संबंध मेरी बेहोशी में बनाये। मुझसे यह बात किसी से भी कहने से मना किया। मैने अपनी सास से शिकायत की तो मेरी जेठानी और सास ने बहुत मारा। रस्सी से मारा। मैने अपने घर बतायी ये बात उसके बाद मैने शिकायत की।''**

49. पीडिता पी0 डब्लू02 द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बयान की मुख्य परीक्षा में भी यह कथन किया है कि घटना के वक्त मेरी उम्र 23 वर्ष की थी। दिनांक–25.02.2023 की बात है। मैं घर पर थी। घर पर मेरी जेठानी प्रीति भी थी। तभी दिन के 11–12 बजे मेरे पति के मामा पूरन घर पर आये और अपने साथ कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आये थे। मेरी जेठानी ने कोल्ड ड्रिंक गिलास में मुझको दी लेकिन खुद नहीं ली। जिससे मेरी स्थिति बेहोसी की हो गयी। *मेरी जेठानी प्रीति, ममिया ससुर पूरन और मुझको छोडकर पडोस मे चली गयी। बेहोशी का फायदा उठाकर पूरन मुझे ऊपर कमरे में ले गये। जहां मेरे कपडे उतारकर बेहोशी की हालत में जबरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे यह बात किसी को बताने से भी मना किया। जब मेरी सास विठला देवी व जेठानी प्रीति घर आये तो मैने इसकी शिकायत सास व जेठानी से की इस बात पर इन दोनों ने मुझको मारा पीटा व मुझसे बदसलूकी की।* इस बात की सूचना मैने अपने मायके मे दी तो मेरे भाई द्वारा 27.02.2023 को एक दिन छोडकर मेरे भाई अनुज

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

द्वारा थाने पर सूचना दी गयी। यहां मुझे डाक्टरी रिपोर्ट कराने हेतु आगरा आयी थी। मैं डाक्टरी मुआयना कराने महिला चिकित्सालय आयी थी। जहां मेरी अंदरूनी जांच हुयी। मेरा मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी का भी बयान हुआ था। न्यायालय की अनुज्ञा से 164 सी0 आर 0 पी0 सी का लिफाफा खोला गया। 164 सी0 आर 0 पी0 सी के बयानों पर अपने फोटो व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूं और कहा कि यह वही बयान है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया है। दरोगा जी ने घटना के संबंध में मुझसे पूछताछ की थी। इस दिन पूरन द्वारा मेरे साथ दो बार बलात्कार किया गया। एक बार लगभग 12 बजे एक बार लगभग 2 बजे।

50. साक्षी द्वारा जिरह में कथन किया गया है कि ''शादी के बाद ससुराल गयी तो ससुराल वाले मुझे मारते पीटते थे। दहेज के लिए परेशान करते थे। मैने अपने ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में किया है। इटावा में मुकदमा चल रहा है। इटावा वाले मुकदमें में एक बार राजीनामा हुआ था। राजीनामा होने के बाद ससुराल गयी थी। करीब 15 दिन ससुराल में रही थी। राजीनामा की लिखा पढी कोर्ट में हुयी थी। मेरी जेठानी जौनपुर की है। मेरा जेठानी व सास से झगडा होता था। पीडिता ने आगे कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पूरन ने मेरे साथ कोई बलात्कार न किया हो। यह कहना भी गलत है कि अभियुक्त पूरन ने मुझे कोई नशीला पदार्थ न खिलाया हो। यह कहना भी गलत है कि पूरन द्वारा मेरे साथ कोई मार पीट न की गयी हो। यह भी कहना गलत है कि पूरन द्वारा मेरे साथ कोई षडयंत्र न किया हो। श्रीमती प्रीति ने मुझे कोई नशीला पदार्थ न खिलाया हो यह कहना भी गलत है व कोई मारपीट न की गयी हो। प्रीति द्वारा मेरे साथ कोई षडयंत्र न किया गया हो यह भी कहना गलत है। यह कहना भी गलत है कि श्रीमती विठला देवी द्वारा मेरे साथ कोई मारपीट न की हो। यह कहना भी गलत है मैने अपने ससुरालीजनों के खिलाफ दबाब बनाने के लिए झूठा मुकदमा लिखवाया हो।'''

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

51. *बचाव पक्ष का यह तर्क कि तहरीर प्रदर्श क 1 में एंव पीडिता के बयान धारा 161 सी0 आर 0 पी0 सी0 में बयान मे इस आशय का कोई कथन नही किया गया है कि सह अभियुक्तगण द्वारा पीडिता कोल्ड ड्रिक में नशीला पदार्थ पिलाया तथा उसकी मारपीट की , बल्कि मात्र अभियुक्त पूरन द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग किये जाने का कथन किया है।* यहां यह उल्लेखनीय है कि पीडिता द्वारा अपने बयान धारा 164 सी0 आर 0 पी0 सी0 में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि कथित दिनांक व समय पर उसकी जेठानी ने उसे कोल्ड ड्रिक पिलायी और बेहोशी हालत में अभियुक्त पूरन ने पीडिता के साथ शारीरिक संबध बनाये और जिसकी शिकायत करने पर जेठानी और सास ने उसे मारा पीटा ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था State of Punjab Vrs Gurmit Singh (1996)2 SCC 384 व Rajindra @ Raju Vrs. State of Himachal Pradesh (2009)16 SCC 69 में यह अवधारित किया गया है कि भारतीय संस्कृति में कोई भी स्त्री किसी व्यक्ति पर बलात्कार जैसा झूठा आरोप नहीं लगायेगी यदि वह ऐसे अपराध से पीड़ित न हो।

52. **अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0 डब्ल्यू0 8 डा0 वन्दना तुलसी** द्वारा कथन किया गया है कि सन् 2012 से लेकर आज तक मैं जिला महिला चिकित्सालय आगरा में बतौर चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात हूँ। डाँ० रूचि रानी जिनकी मृत्यु हो चुकी है वो मेरे साथ तैनात रही है। मैंने उनको लिखते–पढ़ते देखा है और मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानती हूँ। इस मुकदमे की पीड़िता रेशमा का डाक्टरी परीक्षण डा० रुचि रानी द्वारा किया गया था। जो पत्रावली पर कागज सं० 6 क/1 लगायत 6 क/11 मौजूद है जो डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। जिस पर प्रर्दश क–7 डाला गया। पीड़िता रेशमा की पूरक रिपोर्ट भी डा० रुचि रानी द्वारा तैयार की गयी थी। जो कि पत्रावली पर कागज सं० 6 क/13 लगायत 6 क/14 मौजूद है, जो डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा ।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। जिस पर प्रर्दश क–8 डाला गया। डस्च्ब् तममितमदबम वितउ पैथोलाजिस्ट व रेडियोलाजिस्ट के लिए डा० रुचि रानी द्वारा तैयार किए गए थे, जो कि पत्रावली पर क्रमश रू कागज सं० 16 व 17 मौजूद है जो डा० रुचि रानी के हस्तलेख व हस्ताक्षर में है। मैं उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त करती हूँ। जिस पर क्रमश प्रर्दश क–9 व प्रर्दश क–10 डाला गया।

53. यहां यह भी उल्लेख किया जाना उचित होगा कि डॉ० रूचि रानी जिन्होने पीडिता के शरीर का चिकित्सीय परीक्षण किया गया था ,जिनकी मृत्यु हो चुकी है उक्त साक्षी से द्वितीयक साक्षी के रूप में उपस्थित होकर उपरोक्त चिकित्सीय परीक्षण रिपोर्ट पर डा0 रूचि रानी के लेख व हस्ताक्षर को साबित किया गया है।

54. *पुनः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया कि पीडिता के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में पीडिता के बाहरी व आन्तरिक शरीर पर कोई चोट नही पायी गयी । चिकित्सीय रिपोर्ट से अभियुक्त द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग किये जाने के तथ्य की पुष्टि नही होती है, न ही विधि विज्ञान प्रयोगशाला उ0प्र0 आगरा की एफ0एस0एल0 रिपोर्ट कागज संख्या 19क से अभियुक्त पूरन द्वारा बलात्संग किये जाने की पुष्टि होती है जिससे अभियोजन कथनाक पर पूर्णतया विश्वास नही किया जा सकता है।*

55. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया यह तर्क कि पीड़िता के साथ बलात्कार किये जाने का कोई तथ्य चिकित्सीय परीक्षण आख्या मे आना उल्लिखित नही किया गया है ऐसी स्थिति मे भी मामले को संदिग्ध माना जाये स्वीकार योग्य नही है। जहां तक चिकित्सीय परीक्षण में पीडिता के शरीर पर कोई चोट न पाये जाने तथा बलात्कार की पुष्टि न होने का प्रश्न है, तो उक्त सम्बंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था B . C.Deva @ Dyava vs. State of Karanataka ,(2007)12 SCC 122** में यह अवधारित किया गया

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा ।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

है कि पीड़िता अथवा अभियुक्त के शरीर पर कोई चोट का निशान न पाये जाने पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ बलपूर्वक बलात्कार नहीं किया है। यद्यपि पीड़िता के चिकित्सीय परीक्षण आख्या में बलात्कार के सम्बंध में कोई साक्ष्य नहीं है, फिर भी चिकित्सीय साक्ष्य से बलात्कार की पुष्टि न होने के बावजूद , पीड़िता द्वारा दी गयी तहरीर में किये गये कथन , धारा 164 सी.आर.पी.सी. में दिये गये बयान तथा न्यायालयीन कथनों को यदि स्थिर व विश्वसनीय पाया जाता है तो उसे स्वीकार किया जायेगा।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Sheikh Zakir vs. State of Bihar, **(1983) 4 SCC 1**0, मे यह कहा गया कि " The absence of any injuries on the person of the complainant may not by itself discredit the statement of the complainant. Merely because the complainant was a helpless victim who was by force prevented from offering serious physical resistance she cannot be disbelieved. In this situation the non–production of a medical report would not be of much consequence if the other evidence on record is believable....."

56. इसी प्रकार **माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था Motilal vs. State of M.P. (2008) 11 SCC 20** में यह अवधारित किया गया है कि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि बलात्कार की पीड़िता को सह अभियुक्त नहीं माना जा सकता है एवं उसके साक्ष्य की संपुष्टि चिकित्सक के साक्ष्य अथवा किसी अन्य साक्ष्य से कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त मामले में चिकित्सक के द्वारा पीड़िता के शरीर पर बलात्कार का कोई चिन्ह नहीं पाया गया है। किन्तु इसे पीड़िता के एकमात्र साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का आधार नहीं माना गया।

57. अभियुक्तगण द्वारा पीडिता के साथ तथाकथित घटना दिनांक 25.02.2023 को कारित होने का कथन किया गया है, जबकि पीडिता के शरीर का

चिकित्सीय परीक्षण दिनांक 28.02.2023 को अर्थात तीन दिन के बाद कराया गया है ,जिसके कारण पीडिता के शरीर पर बाहरी या आन्तरिक चोटे व बलात्कार किये जाने की पुष्टि होने व अभियुक्त पूरन द्वारा पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने के संम्बन्ध में कोई रिपोर्ट आना संम्भव नही है। पीडिता द्वारा अपना चिकित्सीय परीक्षण कराते समय भी अभियुक्त पूरन व जेठानी द्वारा कोल्ड ड्रिंक उसे पिलाने जिससे वह बेहोश हो गयी तथा जेठानी का पडोस में जाना एंव पूरन द्वारा पीडिता के साथ बलात्संग किये जाने का कथन भी किया गया ।

58. *बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क किया गया कि तथ्य के दोनो साक्षी एक ही परिवार के है तथा हितबद्ध साक्षी है। अतः उनके साक्ष्य पर विश्वास नही किया जा सकता है।*

इस संबंध में **भगवान सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश ए०आई०आर० २००२ एस०सी० १६२१** में माननीय उच्चतम न्यायलाय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि रिश्तेदार साक्षियों की बात इस आधार पर नहीं काटी जा सकती की वे पीड़ित के रिश्तेदार हैं। **इशरार अहमद बनाम यू०पी० राज्य (२००५) सुप्रीम कोर्ट एस०सी०सी० १२६०** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्षी की विश्वसनीयता को प्रभावित करने के लिए रिश्तेदारी कोई मुद्दा नहीं है। अतः संबंधों के आधार पर किसी साक्षी के परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। ऐसे साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष घटना के संबंध में दिये गये साक्ष्य की जाँच न्यायालय को सर्तकता एवं समझदारी से करने के पश्चात यदि न्यायालय यदि एसे साक्षीगण के साक्ष्य को विश्वसनीय पाती है तो वह ग्राह्य है, चाहे वह साक्षी रिश्तेदार ही क्यों न हो।

प्रस्तुत मामले में स्वंय वादिया मुकदमा जो कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है,के द्वारा अपने बयान धारा 164 सी.आर.पी.सी. में अभियुक्तगण पूरन द्वारा अभियुक्तगण श्रीमती प्रीति के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कारित करते हुये वादी मुकदमा की बहन पीडिता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर पूरन

द्वारा जबरदस्ती बलात्कार किया जाना एंव सभी अभियुक्तगण द्वारा पीडिता की मारपीट किया जाना साबित किया गया है, जिसको अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित तथ्य साक्षी पी० डब्लू० 1 अनुज, पी0 डब्लू02 पीडिता व पी0 डब्लू03 पीडिता की मॉ , ने अपने बयानों में पुष्ट किया है। उक्त साक्षियों के सशपथ बयान में ऐसा कोई तात्विक विरोधाभास अथवा विसंगति नहीं है जिसके आधार पर अभियोजन कथानक पर अविश्वास किया जा सके।

अतः बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

59. *बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पीड़िता तथा अन्य अभियोजन साक्षीगण के बयानों में कुछ अन्य प्रकृति के विरोधाभासों की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराया गया है,* किन्तु उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पीडिता के द्वारा धारा 164 सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत दिये गये कथन तथा न्यायालयीन बयानों में अभियोजन द्वारा कथित घटना जो अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ घटित की गयी है, को साबित किया गया है, जो पूर्णतया स्वाभाविक व विश्वसनीय प्रतीत होते है। अभियोजन साक्षीगण पी०डब्लू० 1 व पी०डब्लू० 2, पी०डब्लू० 3 के बयानों में जो विरोधाभाष है, भी वह सूक्ष्म प्रकृति के है, जिनसे अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर कोई प्रभाव नही पडता है एवं उनके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कथानक पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है।

60. उक्त सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था-**Mukesh Vs. State for NCT of Delhi & Others, AIR 2017 SC 2161 (Three-Judge Bench)** एवं **Bhagwan Markad Vs. State of Maharashtra, (2016) 10 SCC 537 Jagannath** में यह अवधारित किया गया है कि अभियोजन साक्षी के बयानों में सूक्ष्म विरोधाभास होना स्वाभाविक है, जिससे बयानों की सत्यता की पुष्टि होती है।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

अब्दुलगानी बनाम म.प्र. राज्य ए.आई.आर. 1974 एस.सी. 753 में अभिनिर्धारित किया गया है, कि न्यायालय में साक्ष्य देते समय कभी–कभी कोई साक्षी भ्रमित हो जाता है। कोई साक्षी पूर्णतः सत्यवादी होने के बावजूद न्यायालय के वातावरण और बीधने वाली प्रति–परीक्षण से आतंकित हो सकता है। ऐसी असंगतियों को जो मामले की जड़ तक नहीं पहुंचती और मामले की मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं करती। असम्यक महत्व नहीं दिया जा सकता।

पुनः बलात्कार जैसे मामलो मे जहाँ किसी महिला के विरुद्ध न सिर्फ शारिरिक वरन मानसिक अपराध भी कारित किया जाता है वहां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि ऐसे मामले मे न्यायालयो को अत्यंत संवेदनशीलता दिखाना चाहिये तथा **माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था In State of Punjab Vs. Gurmit Singh & Ors. AIR 1996 SC 1393,** मे यही तथ्य उल्लिखित किया गया कि 'that in cases involving sexual harassment, molestation etc. the court is duty bound to deal with such cases with utmost sensitivity. Minor contradictions or insignificant discrepancies in the statement of a prosecutrix should not be a ground for throwing out an otherwise reliable prosecution case. Evidence of the victim of sexual assault is enough for conviction and it does not require any corroboration unless there are compelling reasons for seeking corroboration.

ऐसी स्थिति मे उपरोक्त परिस्थितियों मे यह तथ्य निर्विवाद रुप से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है कि मात्र पीड़िता का बयान बलात्कार जैसे मामले मे दोषसिद्धि के लिये पर्याप्त है ।

61. *अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क किया गया कि पीड़िता द्वारा पूर्व में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुकदमा लिखवाया गया था।*

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

अभियुक्तगण निर्दोष है, पीड़िता द्वारा रंजिशन अभियुक्तगण के विरुद्ध यह झूँठा मुकदमा दर्ज कराया गया है।

अभियोजन की ओर से जबावी तर्क दिया गया कि यह बात सही है कि पीड़िता द्वारा अपने ससुरालीजन के विरुद्ध जनपद न्यायालय इटावा में दहेज/उत्पीड़न संबंधी मुकदमा दर्ज कराया गया था किन्तु उक्त मुकदमे में अभियुक्त पूरन को आरोपी नहीं बनाया गया था। ऐसे में यह कहना गलत है कि पीड़िता की अभियुक्त पूरन से पूर्व में कोई रंजिश थी जिस कारण पीड़िता द्वारा पूरन के विरुद्ध बलात्कार का वर्तमान मुकदमा लिखाया गया है।

उक्त तर्क के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि पीड़िता ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकारा है कि उसने अपने ससुरालीजनों के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा किया है जो कि इटावा में चल रहा है। जिरह में अग्रेतर कथन किया है कि इटावा वाले मुकदमें में राजीनामा हुआ था। राजीनामा होने के बाद वह ससुराल गयी थी । इस प्रकार पीड़िता के न्यायालयीन कथनों से स्पष्ट होता है कि पीड़िता द्वारा अपने ससुरालीजन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था किन्तु उक्त मुकदमे में समझैता हो जाने के पश्चात वह अपने ससुराल में अच्छे से रहने लगी थी। इस तथ्य की पुष्टि बचाव साक्षी संख्या 1 रामवीर, जो कि अभियुक्त पूरन का जीजा लगता है, की जिरह में किए गये कथनों से होती है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि पीड़िता अपने पति सोनू व परिवारीजन के साथ राजी खुशी रहती थी और उनमे लड़ाई झगड़ा नही होता था । *पीड़िता के मायके वाले, रेशमा के जेठानी प्रीती और सास बिठला देवी एवं बिठला के भाई पूरन को क्यों फंसाना चाहते थे, यह उसे नहीं पता।* ***पीड़िता अपनी ससुरालीजन पर कोई दबाव बनाना नहीं चाहती थी। यह भी कथन किया है कि यह बात सही है कि पूरन के द्वारा पीड़िता के साथ कथित घटना करने के बाद से पीड़िता की प्रीती और बिठला देवी से बिगड़ गयी थी ।*** *पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 34 ख/4 लगायत 34 ख/5 , जो कि बचाव*

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

पक्ष की ओर से दाखिल किया गया है, के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त समझौते में अभियुक्त पूरन पक्षकार नहीं है और न ही उक्त समझौते पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिससे यह स्पष्ट है कि जनपद इटावा के न्यायालय में चल रहे मुकदमे में अभियुक्त पूरन आरोपी नहीं है । यह दर्शाता है कि पीड़िता की अभियुक्त पूरन से किसी प्रकार की कोई पूर्व रंजिश नहीं थी। ऐसे में अभियुक्त पूरन पर बलात्कार जैसा घृणित आरोप लगाकर स्वयं समाज में अपनी बदनामी तथा अपने परिवार के मान सम्मान को दाँव पर लगाकर पीड़िता द्वारा बलात्कार का झूँठा मुकदमा लिखाए जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उक्त तर्क स्वीकार किए जाने के योग्य नहीं है।

62. *अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही बनाया गया है, जिस कारण घटना संदिग्ध है।*

स्पष्ट तौर पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में यह उल्लखित किया गया है कि बलात्कार के मामले मे पीडिता का बयान अनतर्गत धारा 164 सी. आर. पी.सी. तथा उसके न्यायालयीन कथन महत्वपूर्ण हैं। विधि व्यवस्था **सेवक बनाम स्टेट आफ यू.पी.–1995 क्रिमनल ला जनरल 2778** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधि सम्प्रेक्षित की गयी है कि यदि पीडिता का साक्ष्य पूर्ण रूप से विश्वसनीय है तब उसी की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है। तथा उक्त आधार पर कि बलात्कार के मामले मे कोई स्वतंत्र साक्षी नही पेश किया जाना घटना को संदिग्ध माना जाये तर्क संगत नही है तथा अस्वीकार किया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2014 (1) SCC (Cri) 846 मे यह निर्धारित किया गया है कि

"In the matter of appreciation of evidence of witnesses, it is not the number of witnesses but quality of their evidence which is

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

important, as there is no requirement under the Law of Evidence that any particular number of witnesses is to be examined to prove/disprove a fact, माननीय उच्चतम न्यायालय उपरोक्त विधि व्यवस्था मे यह भी कहा गया कि

Evidence must be weighted and not counted. It is quality and not quantity which determines the adequacy of evidence.

विधि व्यवस्था **भरवाडा भोगिन भाई हीरजी भाईबनाम गुजरात राज 1983 क्रिमनल लॉ जनरल 1096 सुप्रीम कोर्ट** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि किसी बलात्कार के प्रकरण में दोषसिद्धि हेतु सम्पुष्टि अनिवार्य नही है। भारतीय सामाजिक परिवेश में लैगिक प्रहार के शिकार के परिसाक्ष्य को अस्वीकार करना घाव में नमक छिडकना है। रूढिबद्ध अनुज्ञेय भारतीय समाज में कोई भी लडकी या स्त्री किसी ऐसी घटना को अपने संबंध में स्वीकार करने मे पूर्णतया अनिच्छुक होगी जो उसके सतीत्व पर आंच डालने की सम्भावना से युक्त हैा समाज से बहिस्कृत किये जाने व समाज, अपने परिवार के सदस्यो, सम्बन्धियो मित्रो, पडोसिया द्वारा तिरस्कृत किये जाने का भय सदैव उसके मन में रहता है। सिद्धान्ततः बलात्कृत स्त्री का साक्ष्य उसी धरातल में रहता है जिस पर उपहतिग्रस्त साक्षी का साक्ष्य परन्तु बलात्कृत स्त्री के साक्ष्य को अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

पुनः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Jarnail Singh V. State of Punjab 2009 3 SCC 391 (396) के मामले मे अभियुक्त के दोषसिद्धि के लिये साक्षियो की संख्या के सबँध मे यह कहा गया कि the court held that the conviction of accused can be based on the testimony of a solitary eye witness but in order to be the basis of conviction his presence at the place of commission of offence has to be natural and his testimony should be reliable and free from any blemish and strong enough to satisfy the court

(नीरज श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।
जे0 ओ 0 कोड – UP03825

उक्त विधि व्यवस्थाओ से यह सपष्ट है कि किसी मामले के अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपो को सिद्ध करने के लिये अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षियो की संख्या महत्वपूर्ण न होकर उनके द्वारा किये गये कथन महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत मामले में, जैसा कि उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पीड़िता के द्वारा अपने साक्ष्य में घटना को साबित किया गया है एवं उसके साक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसके आधार पर अभियोजन कथानक पर अविश्वास किया जा सके। अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में पीड़िता के बयान विश्वास योग्य है एवं उसकी संपुष्टि के लिए किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है।

अतः बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्क में कोई बल प्रतीत नहीं होता है।

63. *जहां तक बचाव पक्ष का वादिया मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज कराये जाने का प्रश्न है*–इस संबध में **स्टेट बनाम प्रिया शर्मा महाराज (1997)4 एस०सी०सी० 393 में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा यह विधि सम्प्रेक्षित की गयी है कि *बलात्कार के मामले में अस्वाभिवक विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराया जाना अभियोजन के लिये घातक नही होता है, क्योंकि बलात्कार की पीडिता को भय शर्म समाज में उसकी स्थिति या दोषारोपण की संम्भावना रहती है। इसके अतिरिक्त यदि बलात्कार की पीडिता ने घटना के तुरन्त अपने पति व परिवारीजन को बताया हो तो ऐसी दशा में विलम्ब के आधार पर अभियोजन की कहानी का तिरस्कार नही किया जा सकता है। उक्त विधि व्यवस्था से स्पष्ट है कि महिलाओंसे सम्बन्धित अपराधो के मामलो में सामाजिक व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये कुछ दिनों के विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराये जाने के आधार पर घटना को सन्देहास्पद नही माने जाने का अभिमत व्यक्त किया गया है।*

उक्त संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **State of Rajasthan vs. N.K.2000 Cri.L.J. 2205** में यह अवधारित किया गया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब के आधार पर संपूर्ण अभियोजन

कथानक पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। यदि विलंब के संबंध में पर्याप्त व विश्वसनीय स्पष्टीकरण दिये गये हैं तो विलंब को अभियोजन कथानक के लिए घातक नहीं कहा जा सकता।

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **Tara Singh vs. State of Punjab 1991 Suppl.(1)SCC 536 व Jamna vs. State of U.P. 1994 (1)SCC 185** में यह अवधारित किया गया है कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट को दर्ज कराने में विलंब है तो न्यायालय को उसके कारणों पर विचार करना चाहिए एवं यदि इसके कारण अभियोजन कथानक में छेड़छाड़ की संभावना न हो तो मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में विलंब के आधार पर अभियोजन कथानक पर अविश्ववास नहीं किया जा सकता।

प्रस्तुत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा घटना दिनांक 25.02.2023 की रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 को किये जाने के बावत स्वंय घटना के एक दिन बाद थाने में दर्ज करायी गयी ।पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि सर्वप्रथम पीड़िता द्वारा उक्त घटना की शिकायत अपनी सास व जेठानी से की गयी परन्तु सास व जेठानी द्वारा उल्टा पीड़िता को मारा पीटा गया। तत्पश्चात पीड़िता द्वारा अपनी माँ को फोन पर पूरी घटना के बारे में बताया गया। इसके बाद पीड़िता की माँ द्वारा अपने पति व बेटे अनुज को पूरी घटना के बारे में बताया गया। पीड़िता के पिता द्वारा उसी दिन अपने दामाद सोनू (पीड़िता का पति) को फोन करके कहा गया कि रिपोर्ट लिखाने मेरी बेटी को थाने लेकर जाओ तो फोन काटने के थोडी देर बाद सोनू ने वापिस फोन किया और कहा कि मैं जयपुर हूं, घर जाकर बात करूंगा ,जिस पर पीड़िता की माँ ने उससे कहा कि रिपोर्ट कराओ और मेडीकल के लिए लेकर जाओ ,इसके बाद पीड़िता के पति सोनू द्वारा मोबाइल बन्द कर लिया गया। तदुपरान्त अगले दिन पीड़िता का भाई(वादी मुकदमा) अपनी माँ के साथ पीड़िता से मिलने उसकी ससुराल पहुँचा और घटना की जानकारी लेने के पश्चात वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

प्रस्तुत मामले के तथ्य एंव परिस्थितियों में घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य के आधार पर विलम्ब से दर्ज कराया जाना स्वाभाविक प्रतीत होता है। अतः स्पष्ट है कि विलम्ब के कारण अभियोजन कथानक खण्डित नही होता है। बचावपक्ष का उक्त तर्क निराधार है।

64. *बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि विवेचक द्वारा केस डायरी के साथ संलग्न नक्शा नजरी मे घटना स्थल पर स्थित आस पास के लोगों को गवाह नही बनाया गया है और न ही कोल्ड ड्रिंक की बोतल जिसमें नशीला पदार्थ मिलाकर पीडिता को पिलाया जाना कहा गया है तथा रस्सी जिससे पीडिता की मारपीट किया जाना कहा गया है, को विवेचक द्वारा साक्ष्य में एकत्रित किया गया है ।*

65. उक्त तर्का के संबंध में न्यायालय का मत है कि उपरोक्त कमियां विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा की गयी है तथा विवेचना के दौरान विवेचक के द्वारा किसी कमी का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता है। उक्त संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था Hema Vs. The Inspector Madras (2013)1 SCC 627 एवं C. Muniappan and others Vs. State of Tamilnadu (2010) 9 SCC 667** में यह अवधारित किया गया है कि विवेचना की कमी का लाभ अभियुक्त को प्रदान नहीं किया जा सकता है, और न ही उपरोक्त कमी के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त किया जा सकता है।, जहां तथाकथित घटना घटित होते स्वंय वादिया मुकदमा ने देखा हो।

अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

66. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी **पी0 डब्ल्यू0 4 कांस्टेबल अनीता** द्वारा कथन किया गया है कि दिनांक–27.02.2023 को मेरी ड्यूटी थाना जैतपुर पर बतौर सी0 सी0 के पद पर थी। उस दिन मुकदमा वादी अनुज कुमार पुत्र राकेश बाबू निवासी मुन्नी की मड़िया थाना अबेदी, जनपद इटावा मय हमराही

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

पीड़िता पत्नी सोनू निवासी ग्राम पुराजाट थाना जैतपुर वच पीड़िता की मां श्रीमती रानी देवी के साथ आकर एक किता हिन्दी लिखित तहरीर जिस पर खुद के हस्ताक्षर बताते हुए बावत अभियुक्त पूरन के विरूद्ध तहरीर दी थी। तहरीर में आधार पर मु0 अ 0 सं0 13/2023 धारा 376 आई 0 पी0 सी0 घटना दिनांक–25.02.2023 पंजीकृत किया था। जिसकी आयमी जी0 डी0 नं0 39 दिनांक–27.02.2023 समय 17ः30 बजे पर की थी। जिसकी कम्प्यूटर मूल प्रति मैं अपने साथ लेकर आयी हूं। जिस पर थाने की मोहर व मेरे हस्ताक्षर अंकित है। जिसकी मैं शिनाख्त करती हूं। जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया है। पत्रावली पर मौजूद नकल चिक एफ 0 आई 0 आर मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर शब्द व शब्द अंकित की गयी थी। जिस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर व थाने की मोहन अंकित है। जिनकी मैं शिनाख्त करती हूं। जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

67. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 5 उपनिरीक्षक जितेन्द्र कुमार** जो मामले का विवेचक है,के द्वारा घटना स्थल का नक्शा नजरी प्रदर्श क 5 को साबित किया गया तथा पीडिता का मेडिकल कराने के बाद विवेचना उसी दिन 28.02.2023 को विवेचना ट्रांसफर हो जाने का कथन किया गया है तथा यह भी कथन किया गया कि यह कहना भी गलत है कि इसमे पीडिता के साथ पूरन ने कोई बलात्कार , नशीला पदार्थ, मारने पीटने जैसी घटना कारित न की हो। यह कहना भी गलत है कि विठला देवी और प्रीति ने भी पीड़िता के साथ कोई मार पीट न की हो।''

68. **अभियोजन की ओर से साक्षी पी0 डब्ल्यू0 6 एस 0 आई ईश्वर सिंह तोमर** द्वारा कथन किया गया है कि ''मै दिनांक-03.04.2023 से थाना जैतपुर पर बतौर थानाध्यक्ष नियुक्त हुआ था। उपरोक्त मुकदमें की विवेचना मुझे सुपुर्द हुयी। उप निरीक्षक जितेन्द्र कुमार व उपनिरीक्षक अवनीत मान द्वारा पूर्व विवेचना की गयी थी। दिनांक-06.04.2023 को मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना ग्रहण कर प्रारंभ की गयी। दिनांक-08.04.2023 को पर्ची नं0 13 किता किया गया जिसमें पीड़िता के मेडिकल की सप्लीमेंट्री रिपोर्ट से संबंधित चिकित्सक से तैयार कराई

गयी तथा संबंधित डाक्टर रूचि रानी के बयान अंकित किये। दिनांक-17.04.2023 को पर्ची नं0 14 किता किया जिसमें घटना स्थल के आस पास के गवाहों के बयान अंकित किये गये तथा पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर धारा 328 भा0द0सं0 की बढोत्तरी की गयी। दिनांक-18.04.2023 को पर्चा नं0 15 किता किया गया जिसमें मुकदमा वादी के अजीद बयान अंकित किये गये। दिनांक-19.04.2023 को पर्चा नं0 16 किता किया गया जिसमें न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध अभियुक्त का पूरन श्रीमती प्रीति को माननीय न्यायालय तलब कर धारा संशोधन किये जाने हेतु मा0 न्यायालय से अनुरोध किया गया। दिनांक-19.04.2023 को ही पर्चा नं0 17 किता किया गाय जिसमें अभियुक्तगण पूरन व प्रीति का मा0 न्यायालय उपस्थित होने पर रिमाण्ड पर धारा 328 भा0द0सं0 की वृद्धि करते हुए रिमाण्ड संधोधित कराया गया। दिनांक 20.04.2023 को पर्चा नं0 18 किता किया गया जिसमें एफएससी रिपोर्ट हेतु रिमाण्डर भेजा गया तथा मुकदमा की विवेचनात्मक कार्यवाही शेष न होने पर पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र संख्या 26/2023 मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। पत्रावली पर मौजूद आरोप पत्र मेरे द्वारा तैयार किया गया था जिस पर मेरे हस्ताक्षर भी है। मैं अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करता हूं। आरोप पत्र पर प्रदर्शक-6 डाला गया।

69. **साक्षी पी0 डब्ल्यू0 7 उपनिरीक्षक अवनीत** मान द्वारा कथन किया गया है कि ''मैं दिनांक 01.03.2023 को थाना जैतपुर में बतौर एस0ओ0 तैनात था। उस दिन मुझे अपराध संख्या 13/2023 U/S 376 IPC बनाम पूरन की विवेचना हस्व आदेश श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त महोदय प्राप्त हुई थी। दिनांक 01.03.2023 को मेरे द्वारा पर्चा संख्या 3 किता किया गया था जिसमे पूर्व किता केस डायरी प्राप्त कर अवलोकन किया गया। थाना कार्यालय से मुकदमा उपरोक्त की पीड़िता रेशमा की मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसकी नकल कर संलग्न सी.डी. की गयी और वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी। अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ। मुखबिर मामूर किया गया। पीड़िता

का शेष मेडीकल कराए जाने हेतु महिला कांस्टेबल अर्चना मय पीड़िता के जिला अस्पताल रवाना है। दिनांक 02.03.2023 पर्चा संख्या 4 किता गया जिसमें अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी की गयी परन्तु दस्तयाब नहीं हो सका। मुखबिर से भी कोई लाभप्रद जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 03.03.2023 को पर्चा संख्या 5 किता किया गया जिसमें पीड़िता के डाक्टरी परीक्षण रिपोर्ट जो पैथोलौजी भेजी गयी थी, प्राप्त हुई जिसकी नकल सी.डी. कर संलग्न सी.डी. की गयी और पीड़िता का सीएमओ द्वारा जारी आयु प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ जिसमें पीड़िता की उम्र 20 वर्ष पायी गयी तथा जिसकी नकल कर संलग्न सी.डी. किया गया और पैथोलौजी नकल प्राप्त हुई जिसकी नकल कर संलग्न सी.डी. किया गया और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गयी लेकिन दस्तयाब नहीं हुआ और मुखबिर खास को मामूर किया गया। दिन 04.03.2023 को पर्चा संख्या 6 किता किया गया जिसमें मैं थानाध्यक्ष मय हमराह महिला कांस्टेबल रोशनी देवी मय पीडिता श्रीमती रेशमा व उसकी माँ रानी देवी के साथ बयान 164 CrPC कराने हेतु माननीय न्यायालय गया और माननीय न्यायालय में पीडिता की बयान 164 CrPC अंकित कराए गए और माननीय न्यायालय की अनुमति से पीडिता के बयान 164 CrPC का अवलोकन कर सी.डी. में अंकित किए गए जिसमें पीड़िता ने बताया कि सुबह करीब दिनांक 25.02.2023 को मैं घर पर अकेली थी, तभी सुबह करीब 11-12 बजे मेरे पति के मामा पूरन आये और मेरी जेठानी भी आयी। उसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई और मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गयी। वहाँ मुझे नशा हो गया। जब मैं होश में आयी थी तो पूरन मेरे ऊपर था और मेरे कपड़े उतरे हुए थे। उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा मुझसे यह बात किसी से भी कहने से मना कर दिया। मैंने अपनी सास से शिकायत की तो मेरी सास और जेठानी ने मुझे रस्सी से बहुत मारा। जब पीड़िता से पूछा गया तो उसने अपनी सास का नाम विठला देवी तथा जेठानी का नाम श्रीमती प्रीती बताया। पीड़िता के बयान 164 सी.आर.पी.सी. से सास श्रीमती विठला देवी और जेठानी श्रीमती प्रीती के नाम प्रकाश में तथा धारा 323, 120B

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

का होना पाया गया। अतः मुकदमा उपरोक्त में धारा 323, 120B की बढ़ोतरी की गयी और विठला देवी एवं श्रीमती प्रीती के नाम के बढ़ोतरी की गयी। दिनांक 10.03.2023 को पर्चा संख्या 7 किता किया गया जिसमें अभियुक्त की सुरागरसी पतारसी की गयी परन्तु दस्तयाब नहीं किया गया और मुखबिर मामूर किया गया। दिनांक 12.03.2023 को पर्चा संख्या 8 किता किया गया जिसमें अभियुक्त पूरन को गिरफ्तार किया गया और उसके बयान अंकित किये गये और माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड स्वीकृत कराया गया। दिनांक 14.03.2023 को पर्चा संख्या 9 किता किया गया जिसमें एफ एस एल भेजे के माल की रिसीविंग प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर नकल सी.डी. की गयी और शेष वांछित अभियुक्तागण की तलाश की गयी और मुखबिर मामूर किया गया। दिनांक 20.03.2023 को पर्चा संख्या 10 किता किया गया जिसमें -अभियुक्ता प्रीती को लाज लज्जा का ध्यान रखते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया व उसके बयान अंकित कर माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड स्वीकृत कराया था। अभियुक्ता विठला देवी को नोटिस 41A CrPC तामील कराते हुए उनके बयान अंकित किये गये। दिनांक 28-03-2023 को पर्चा संख्या 11 किता किया गया जिसमें एफ एस एल रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु स्मृति पत्र भेजा गया और एफ एस एल से आख्या प्राप्त हुई कि अभी प्रकरण परीक्षण के क्रम पर नहीं आया है। तत्पश्चात मेडीकल कर्ता डाक्टर रुचि रानी के बयान अंकित करने व पूरक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु जिला महिला चिकित्सालय गया लेकिन डाक्टर नहीं मिलीं। तत्पश्चात मेरा स्थानान्तरण हो गया।

70. उपरोक्त साक्षीगण प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक व विवेचक है जो कि औपचारिक साक्षीगण है, जिन्होने अभियोजन प्रपत्रो की प्रमाणिकता को साबित किया गया है।

71. बचाव पक्ष की ओर से अपने बचाव में मौखिक साक्ष्य के रूप में **साक्षी डी0 डब्ल्यू0 1 रामवीर** को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि मेरा और पीड़िता रेशमा का एक ही मकान है। मैं रेशमा

का चचिया ससुर हूँ। मैं खेती बाड़ी का काम करता हूँ। दिनांक 25–02–2023 को करीब 2 बजे मैं घर पर ही था। उस दिन पूरन घर पर नही आया था। पीड़िता रेशमा के मायके वाले अनुज (पीड़िता का भाई), पूरन, प्रीती, विठला देवी को फसाना चाहते थे। अनुज ने इन लोगों के विरुद्ध दबाव बनाने के लिये झूठा मुकदमा किया था। इस समय पीड़िता रेशमा अपनी ससुराल पुरा जाख मे ही रह रही है। आज मै पूरन के कहने पर सफाई साक्ष्य देने आया हूँ। आज मैं अपनी स्वेच्छा से बयान देने न्यायालय मे आया हूँ।

72. **साक्षी डी0 डब्ल्यू0 1 रामवीर** ने अपनी जिरह में कथन किया है कि ''आज मैं पूरन, प्रीती और बिठला के केस में गवाही देने आया हूँ। पूरन के खिलाफ 376 भा0 दं0 सं0 का मुकदमा चल रहा है। बिठला और प्रीती के विरुद्ध मार पीट और कोल्ड ड्रिंक मे नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाने, रेशमा को पिलाने के सम्बंध मे चल रहा है। मैं और मेरे परिवारीजन, रेशमा एक बड़ी बाउंड्री है उसमे बने अपने अपने घरो मे रहते है। मै बिना पढ़ा लिखा हूँ, मै घटना की तारीख नही बता सकता। **जिस दिन पीड़िता के साथ घटना हुयी थी उस दिन मैं 2 बजे खेत से घर पर आ गया था। उससे पहले मैं अपने खेत पर ही था। उस समय खेत मे गेहूँ की फसल खड़ी थी और गेहूँ मे पानी लग रहा था। मैं हर समय पीड़िता के पास नहीं रहता।** घटना वाले दिन मै सुबह घर से खेत पर गया था। घटना वाले दिन दिनांक 25-02-2023 को सुबह 11-12 बजे या 2 बजे से पहले पूरन पीडिता के घर आया हो तो मैं नही बता सकता हूँ। **मेरे सामने पूरन द्वारा कोल्ड ड्रिंक लाने और प्रीती द्वारा पीड़िता को कोल्ड ड्रिंक पिलाने और पूरन द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार करने की घटना नही हुयी क्योकि मैं खेत पर था।** यह बात सही है कि पूरन के द्वारा पीड़िता के साथ कथित घटना करने के बाद से पीड़िता की प्रीती और बिठला देवी से बिगड़ गयी थी। अभियुक्त पूरन भाई का साला होने की वजह से मेरा भी साला लगता है। बिठला मेरी भाभी और प्रीती मेरी भतीजे बहू लगती है।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

73. उपरोक्त साक्षी अभियुक्त पूरन का साला है तथा अभियुक्ता बिठला उसकी भाभी व प्रीती भतीजे बहू लगती है, अर्थात उक्त साक्षी हितबद्ध साक्षी है तथा उसके बयानो में भी गंम्भीर विरोधाभास व्याप्त है, जिसके आधार पर उक्त साक्षी का साक्ष्य भी पूर्णरूपेण विश्वसनीय नहीं हैं। इस साक्षी ने जिरह में कथन किया है कि **<u>यह बात सही है कि पूरन के द्वारा पीड़िता के साथ कथित घटना करने के बाद से पीड़िता की प्रीती और बिठला देवी से बिगड़ गयी थी</u>**।

74. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीती व श्रीमती विठला देवी के विरुद्ध धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 स 0 का आरोप भी विरचित किया गया है। उक्त संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि पीड़िता द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 सी.आर.पी.सी. व न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से यह कथन किया गया है कि " *जब उसने अपनी सास से शिकायत की तो उसकी सास व जेठाने ने उसे रस्सी से बहुत मारा* "। पी.डब्लू. 7 उपनिरीक्षक अवनीत मान द्वारा भी अपनी जिरह में यह कथन किया गया है कि पीड़िता ने उसे बताया था कि सुबह करीब दिनांक 25.02.2023 को मैं घर पर अकेली थी, तभी सुबह करीब 11–12 बजे मेरे पति के मामा पूरन आये और मेरी जेठानी भी आयी। उसने मुझे कोल्डड्रिंक पिलाई और मुझे ऊपर वाले कमरे में ले गयी। वहाँ मुझे नशा हो गया। जब मैं होश में आयी थी तो पूरन मेरे ऊपर था और मेरे कपड़े उतरे हुए थे। उन्होंने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए तथा मुझसे यह बात किसी से भी कहने से मना कर दिया। *मैंने अपनी सास से शिकायत की तो मेरी सास और जेठानी ने मुझे रस्सी से बहुत मारा* । अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण श्रीमती प्रीती व श्रीमती विठला देवी के विरुद्ध धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 स 0 का आरोप साबित होता है। किन्तु न ही पीड़िता द्वारा अपने 161 व 164 सी.आर.पी.सी. के बयानों में तथा न ही अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्त पूरन द्वारा उसके साथ मारपीट किए जाने का कथन किया गया है। तथ्य के अन्य साक्षीगणों द्वारा भी ऐसा कोई कथन नहीं किया

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

गया है कि अभियुक्त पूरन द्वारा पीड़िता के साथ कोई मारपीट की गयी हो। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त पूरन के विरुद्ध धारा 323 सपठित धारा 34 का आरोप संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

75. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि दिनांक 23.02.2023 को समय करीब 02.00 बजे दुपहर वहद स्थान मकान स्थित ग्राम पुरा जाख थाना जैतपुर जिला आगरा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत अभियुक्त पूरन द्वारा सह अभियुक्तगण श्रीमती प्रीती के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र के तहत वादी मुकदमा की बहन पीडिता को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया गया तथा अभियुक्त पूरन द्वारा पीडिता के साथ उसकी इच्छा के विरूद्व जबरदस्ती बलात्संग किया गया एवं अभियुक्तगण श्रीमती प्रीती व श्रीमती विठला देवी द्वारा पीड़िता के साथ स्वेच्छया मारपीट कर उसे साधारण चोटें पहुँचाई गयीं। अतः अभियुक्त पूरन द्वारा धारा 376, धारा 328 सपठित धारा 120 बी भा0 दं0 सं0 ., अभियुक्ता प्रीती द्वारा धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 व धारा 328 सपठित धारा 120 बी भा0 दं0 सं0. तथा अभियुक्ता श्रीमती विठला द्वारा धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0.के अन्तर्गत अपराध का किया जाना संदेह से परे साबित होता है। अतएव अभियुक्तगण उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत **दोष सिद्ध** किये जाने योग्य हैं।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन पक्ष यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पूरन द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में वादी की बहन/पीड़िता को स्वेच्छया मारपीट कर उसे साधारण चोटें पहुंचाई गयीं। अतः अभियुक्त पूरन धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के तहत **दोषमुक्त** किए जाने योग्य हैं।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) , आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

आदेश

अभियुक्त **पूरन** पुत्र गंगाराम, निवासी–ग्राम खनियन, थाना बलरई, जिला इटावा,को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ 0 सं0– 13/2023 ,**थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0, में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त **पूरन** पुत्र गंगाराम, निवासी–ग्राम खनियन, थाना बलरई, जिला इटावा,को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ 0 सं0– 13/2023 ,**थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा–376 ,328 सपठित धारा 120 बी भा0 दं0 सं0, में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्ता **श्रीमती प्रीती** पत्नी राजवीर, निवासी– ग्राम पुरा जाख, थाना जैतपुर, जिला आगरा,को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ 0 सं0– 13/2023 ,**थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा– 328 सपठित धारा 120 बी एवं 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0, में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्ता **श्रीमती विठला देवी** पत्नी रामचरन, निवासी– ग्राम पुरा जाख, थाना जैतपुर, जिला आगरा,को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ 0 सं0– 13/2023 ,**थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में आरोप अन्तर्गत धारा–323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0, में दोषसिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीती व श्रीमती विठला देवी, उक्त सत्र परीक्षण में जमानत पर हैं तथा न्यायालय मे उपस्थित हैं। उनके जमानतनामे व बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीती व श्रीमती विठला देवी को उक्त आरोपों में न्यायिक अभिरक्षा मे लिया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांक - 30. 06. 2026 (नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

<u>बाद लंच</u>

पत्रावली बाद लंच दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई। अभियुक्त पूरन की ओर से कथन किया कि वह गरीब व्यक्ति है तथा मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करता है। अभियुक्ता श्रीमती प्रीती की ओर से कथन किया गया कि वह बहुत गरीब है और उसके बच्चों का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। अतः उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्ता श्रीमती विठला देवी की ओर से कथन किया गया कि वह वद्ध एवं गरीब महिला है। अतः उसकी उम्र का लिहाज करते हुए उसके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए उसे कम से कम दण्ड से दण्डित किया जाये।

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की ओर से कथन किया गया कि अभियुक्त पूरन रिश्ते में पीड़िता का ममिया ससुर लगता है तथा अभियुक्ता प्रीती पीड़िता की जेठानी है। रिश्तेदार होने के कारण इनको पीड़िता को सरंक्षण प्रदान करना चाहिए था किन्तु इसके विपरीत इन दोनों अभियुक्तगण द्वारा अपराधिक षडयन्त्र करते हुए पीड़िता के साथ बहुत ही घृणित अपराध कारित किया गया है इसलिए मामले के तथ्य व परिस्थितियों तथा मामले की गम्भीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को कठोरतम दण्ड से दण्डित किये जाने की याचना की गई।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

प्रस्तुत मामले के तथ्य व परिस्थितियों तथा दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा अभियुक्ता श्रीमती विठला देवी की वद्धावस्था को दृष्टिगत रखते हुए दोषसिद्ध अभियुक्तगण पूरन, श्रीमती प्रीती व श्रीमती विठला देवी को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी।

दण्डादेश

दोषसिद्ध **अभियुक्त पूरन** पुत्र गंगाराम, निवासी–ग्राम खनियन, थाना बलरई, जिला इटावा, को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ0 सं0–13/2023 ,** थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में धारा 376 भा0 दं0 सं0 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा तथा 10,000/– रुपये के अर्थदण्ड से, धारा–328 सपठित धारा 120 बी के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्ता **श्रीमती प्रीती** पत्नी राजवीर, निवासी–ग्राम पुरा जाख, थाना जैतपुर, जिला आगरा, को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ0 सं0–13/2023,** थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में धारा–धारा 328 सपठित धारा 120 बी के अन्तर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 5000/– रुपये के अर्थदण्ड से एवं धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत दोषी पाते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्ता **श्रीमती विठला देवी** पत्नी रामचरन, निवासी– ग्राम पुरा जाख, थाना जैतपुर, जिला आगरा,को **सत्र परीक्षण संख्या 1572/2023, मु0 अ0 सं0– 13/2023,** थाना जैतपुर, जनपद आगरा, के प्रकरण में धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के अन्तर्गत 1 वर्ष के साधारण कारावास तथा 1,000/– रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ0 कोड – UP03825

अर्थदण्ड की अदायगी न किये जाने पर दोषसिद्ध अभियुक्त पूरन को धारा 376 भा0 दं0 सं0 के तहत छः माह, धारा 328 सपठित धारा 120 बी भा0 दं0 सं0 के तहत दो माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध श्रीमती प्रीती को अर्थदण्ड की अदायगी न किये जाने पर धारा 328 सपठित धारा 120 बी भा0 दं0 सं0 के तहत दो माह तथा धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के तहत पन्द्रह दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

दोषसिद्ध श्रीमती विठला द्वारा अर्थदण्ड की अदायगी न किए जाने पर अर्थदण्ड की अदायगी न किये जाने पर धारा 323 सपठित धारा 34 भा0 दं0 सं0 के तहत 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

प्रत्येक दोषसिद्ध अभियुक्त की उपरोक्त प्रकरण में जेल में बितायी गयी अवधि धारा–428 दं0 प्र 0 सं0 के अन्तर्गत उक्त सजा में नियमानुसार समायोजित की जाएगी।

दोषसिद्ध अभियुक्तगण पूरन एंव प्रीती की उपरोक्त अपराधों की सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी।

तदनुसार अभियुक्तगण उपरोक्त का सजायावी वारण्ट तैयार कर अविलम्ब जिला कारागार प्रेषित किया जाए।

इस निर्णय की प्रति अभियुक्तगण को नियमानुसार निःशुल्क प्रदान की जाए। निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, आगरा को प्रेषित की जाए।

S.d/-

दिनांक - 30- 06- 2026 *(नीरज श्रीवास्तव)*

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

(नीरज श्रीवास्तव)

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

S.d/-

दिनांक - 30. 06. 2026 *(नीरज श्रीवास्तव)*

अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), आगरा।

जे0 ओ 0 कोड – UP03825